Haryana Vidhan Sabha

Debates

14th January, 1972

Vol. 1 No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 14th January, 1972

	Page
Starred Questions and Answers	(5)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table under Rule 45	(5)31
Papers laid on the Table	(5)32
Dicussion and Voting on Demands for Grants	(5)32
Announcement by the Speaker	(5)59
Resumption of Discussion and Voting on Demands for Grants	(5)60-64

Haryana Vidhan Sabha

Friday, the 14th January, 1972

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha.

Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh at 9.30 A.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig. Ram Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker: Hon. Members, the Question Hour.

Starred Question No. 1357 by Sh. Daya Krishan has been postponed on the request of the Minister concerned.

Sh. Daya Krishan: By the what date, Sir?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): यह आ जाएगा।

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अश्योर करते हैं कि यह सवाल आ जाएगा।

Mr. Speaker: I will put it to 18th.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, इससे पहले मेरा भी एक इसी तरह का ही सवाल था जैसा कि श्री दया कृष्ण जी का है और उसके लिए आपने कहा था कि उसका जवाब बाद में

देंगे। इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि इसको क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है।

Mr. Speaker: There has been a request. They are collecting details. So, I will let you know. I am going to take a decision on this after consulting the Minister concerned.

Bhambhewa Drain in Tehsil Jind.

***137. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the time by which Bhambhewa Drain in tehsil Jind is likely to be constructed; and

(b) whether the said drain will be originated from village Ram Nagar in tehsil Safidon?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur):

(a) By June, 1973.

(b) The drain will originate from village Karkhana and will also benefit the lands of village Ram Nagar.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमैंट्री तो नहीं है लेकिन मं एक सजैशन देना चाहता हूं। यह जो कारखाना गांव है वहां से ड्रेन ओरिजनेट करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर रजवाहा नम्बर 3 के साथ दो पम्पिंग सैट लगे हुए हैं जिनसे वहां पर फ्लड खत्म हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उस ड्रेन को हाट और राम नगर

गांव के पास खोदा जाए ताकि उस इलाके के लोगों को फ्लड से बचाया जाा सकें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब यह बात तो इंजीनियर देखेंगे कि कहां से पानी क्लियर होगा। लेकिन मैं मैंबर साहब को यह एश्योरेंस देता हूं कि इस गांव में जो बाढ़ का पानी आता है वह नहीं आने दिया जाएगा, उस तकलीफ को हटा दिया जाएगा।

Brick Kinds

***1382. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Food & Supplies be pleased :-

(a) to state the number of brick kilns in Hisar and Mohindergarh which get coal and water facilities from the Government together with the quantity of coal received by each of them;

(b) to state teh rate at which the bricks are obtained from the brick kilns referred to in part (a) above; and

(c) to lay on the Table of the House a list containing the names of owners of the said brick kilns?

Food & Supplies Minister (Sh. Rajinder Singh):

(a) There are 9 brickkilns in Hisar district and 11 in Mohindergarh district run under contract with the Irrigation Department, which get facilities for water as well

as coal. Teh quantity of slack coal given to these kilns of Hisar and Mohindergarh districts is as under:-

Hisar District		
Sr. No.	Name of the Brick Kiln Owner	Quanity of coal issued
1	Sh. Niranjan Singh	163 M. tons
2	Jui Brick Kiln & Co.	56 M. tons
3	M/s Dula Ram	112 M. tons
4	M/s Puran Mal Ganga Ram	400 M. tons
5	Hisar Batha Production Co-op. Industrial Society	400 M. tons
6	M/s Inderjit Megh Raj	500 M. tons
7	M/s Wazir Chand Karama Chand	900 M. tons
8	M/s Wazir Chand Karama Chand	900 M. tons
9	M/s Wazir Chand Karama Chand	900 M. tons

Mohindergarh District		
Sr. No.	Name of the Brick Kiln	Quanity of

	Owner	coal issued
1	M/s Vishnu Kumar Mittal	224 M. tons
2	Sh. Vijendar Singh	448 M. tons
3	M/s Wazir Chand Karam Chand	336 M. tons
4	M/s Shiv Narain & Co.	234 M. tons
5	M/s Shiv Narain & Co.	560 M. tons
6	M/s Som Nath Shiv Singh	168 M. tons
7	Sh. Niranjan Singh	448 M. tons
8	Sh. Bansi Dhar Gupta	336 M. tons
9	M/s Chujju Ram Soth Nath	504 M. tons
10	M/s B.D. Goyal & Co.	112 M. tons
11	M/s Singhani Kilns	112 M. tons

(b) the rates at which the bricks are obtained by the Irrigation Department from the kilns referred to above are as under:-

	District Hisar		**District Mohindergarh**
Sr. No.	Rate per thousand numbers	Sr. No.	Rate per thousand numbers

1	Rs. 55.00	1	Rs. 49.99
2	Rs. 54.00	2	Rs. 43.05
3	Rs. 54.00	3	Rs. 48.00
4	Rs. 51.00	4	Rs. 45.71
5	Rs. 50.00	5	Rs. 46.55
6	Rs. 50.00	6	Rs. 55.00
7	Rs. 50.00	7	Rs. 43.70
8	Rs. 50.00	8	Rs. 48.25
9	Rs. 50.00	9	Rs. 45.23
		10	Rs. 51.00
		11	Rs. 51.00

(c) the names of the Owners of the aboe brick kilns are:-

Sr. No.	**District Hisar**	Sr. No.	**District Mohindergarh**
1	Sh. Niranjan Singh	1	Sh. Vishnu Kumar Mittal
2	Sh. Jai Narain	2	Sh. Vijendar Singh
3	Sh. Dula Ram	3	Sh. Prem Nath

4	Sh. Mangal Chand	4	Sh. Mussaddi Lal
5	Hisar Bhatha Production Co-Operative Industrial Society	5	Sh. Mussaddi Lal
6	Sarvshri Inderjit, Megh Raj, Balwant Rai Gopal Krishan, Partners	6	S. Sh. Som Nath Shiv Singh
7	Sh. Wazir Chand, and Sh. Karam Chand of Rohtak	7	Sh. Niranjan Singh
8	Sh. Wazir Chand, and Sh. Karam Chand of Rohtak	8	Sh. Bansi Dhar Gupta
9	Sh. Wazir Chand, and Sh. Karam Chand of Rohtak	9	S. Sh. Chajju Ram Som Nath
		10	Sh. B.D. Goyal
		11	Sh. Suresh Kumar

Smt. Chandravati: What royalty is charged from the brick kiln owners who are sponsored by the Government?

श्री राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, रायलटी जो है वह रट्स से एक्सक्लूड करते है लेकिन कोई रायलटी किसी भी भट्ठे से चार्ज नहीं की जा सकती।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मैं जान सकती हूं कि प्राईवेट भट्ठों से भी नहीं चार्ज की जा रही?

श्री राजेन्द्र सिंह: नहीं जी।

श्रीमती चन्द्रावती: यह जो आपने मेरे पास रेट्स की लिस्ट दी है उसको देखकर यह पता लगता है कि जिस भट्ठों को आप सरकार की तरफ से पानी और कोयले वगैरह की सहूलतें देते है उनको तो आप 54 रूपए हजार का रेट देते हैं और जो प्राईवेट भट्ठे हैं उनसे आप 51 रूपए के हिसाब से खरीदते हैं हालांकि सरकार की तरफ से उनको उस तहर की सहूलतें भी नहीं दी जाती। इसकी क्या वजह है?

श्री राजेन्द्र सिंह: ईटें उनसे कन्ट्रैक्ट बेसिज पर ली जाती हैं और जो रेट उनके साथ सैटल किया गया हो उसके हिसाब से खरीदी जाती हैं।

Smt. Chandravati: Sir, the coal and water facilities are given to these contractors by the Government and yet the bricks are taken on higher rate from these brick kiln owners. Why should not the Government take bricks from the private owners?

श्री राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमने कई प्रोजैक्ट चला रखे हैं जोकि टारगैट डेट्स पर पूरे करने होते हैं और कुछ पूरे कर भी दिए गए हैं। इस तरह के जो प्रोजैक्ट हैं उनके लिए इर्रीगेशन डिपारटमैंट कंट्रेक्ट बेसिज पर भटठे लगाता है ताकि उनको पूरी इंटें मिलने की एशोरेंस हो जाए और प्रोजैक्ट को टाईमली पूरा कर दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं वजीर साहब से पूछना चाहती हूं कि प्राईवेट भट्ठों की निस्बत, जिनको पानी और कोयले की गवर्नमैंट मदद नहीं देती, सरकारी भट्ठों से तीन रूपए ज्यादा पर सरकार इंटें क्यों लेती है? इसका यह है कि गवर्नमैंट घाटे में रहती है और कुछ लोगों को पैट्रोनाईज करती है।

श्री राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं मैंबर साहिबा को बताना चाहता हूं कि ईटें भी उनसे खास किस्म की ली जाती हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब बताएंगे कि उनके साईज में क्या अन्तर होता है?

श्री राजेन्द्र सिंह: इसके बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने सवाल में यह पूछा नहीं था।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, उन्होंने खुद ही कहा है कि ईटों के साईज का फर्क है। इसलिए उनको बताना चाहिए कि उनमें क्या फर्क है।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

Mr. Speaker: He has no answer.

श्री फतेह चन्द विज: क्या यह ठीक है कि रायल्टी तो गवर्नमैंट ने न ली हो लेकिन प्राईवेट फंड में या पार्टी फंड में पैसे लिये गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): कोई भट्ठा ऐसा नहीं है जिससे पार्टी फंड के लिये एक भी पैसा लिया गया हो।

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह तो इनको अपने वक्त की बात याद आती होगी स्पीकर साहब! यही लेते थे भट्ठा वालों से।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: गुप्ता जी, इनका तो सदा ही वक्त रहा। (हंसी)

Sh. Bansi Lal: He has very well said this.

श्रीमती चन्द्रावती: मैं जानना चाहती हूं कि प्राइवेट कंन्ट्रेक्टर्ज और गवर्नमैंट स्पांसर्ड कट्रैक्टर्ज को कोल देने का क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र सिंह: यह तो इंटों का सवाल था इससे तो यह पैदा नहीं होता। आप इसके लिए सैपेरेट नोटिस दें पता करके बता देंगे।

Smt. Chandravati: Sir, my submission is that the Member's right must be protected. I referred to that because the Minister concerned must give answer to my question. Sir, my question covers everything, coal and bricks and that is why I have asked as to what is teh criterion for supplying

coal to the private owners and the Government sponsored contractors?

श्री राजेन्द्र सिंह: इससे तो यह सवाल पैदा नहीं होता आप सैपैरेट सवाल पूछ लें।

श्री मंगल सैन: क्या कोयले की मैलडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गवर्नमैंट के पास शिकायतें आई हैं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं नारमली ऐक्सटैंसिव टूर करता हूं और कई बार भट्ठा वाले शिकायत लेकर आते हैं कि उनको कोयला नहीं मिला। मैंने इस बारे में डी.सीज. को भी पूछा है क्योंकि नारमली वही इसको अलाट करते हैं। उन्होंने बताया है कि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेलवे वैगनज नहीं मिलती हैं। हम रेलवे मिनिस्टर साहब से बात करते रहते हैं और रेलवे मिनिस्टरी में भी हर हफ्ता बात उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि यह दिक्कत दूर हो। कोयले की कमी इतीन है कि हम हरेक को कोयला दे नहीं सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हरेक को कोयला दें ताकि हमारा जो 26 जनवरी 1973 तक सड़कों का प्रोग्राम है वह पूरा हेा और जो म्यूनिस्पिल कमेटियों के डिवैल्पमैंट के काम हैं वह पूरे हो सकें और उन सब कामों के लिये ईटें मिल सकें लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि कोयला नहीं मिलता और वह इसलिये नहीं मिलात क्योंकि वैगनज नहीं मिलती है।

चौ. दल सिंह: इस सवाल के जवाब में वजीर साहब ने बताया है कि गवर्नमैंट स्पांसर्ड कंट्रैक्टर्ज जो हैं उनके रेट्स

प्राईवेट भट्ठा वालों से ज्यादा हैं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह इसके बावजूद है कि सरकार भट्ठे वालों को प्राईवेट भट्ठे वालों से सहूलितें ज्यादा हैं उनको पानी मिलता है, कोयला मर्जी के मुताबिक मिलता है और जमीन भी दी जाती है। तो मैं जानना चहता हूं कि अगर प्राईवेट भट्ठे वाले उनसे कम रेट्स पर ईटें देने के लिये तैयार हों तो क्या सरकार उनसे इंटें लेने के लिये तैयार है?

श्री बंसी लाल: अगर ऐसा है तो सरकार हर वक्त लेने के लिये तैयार है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि गवर्नमैंट स्पासर्ड कंट्रैक्टरज गवर्नमैंट को उसी रेट पर फर्स्ट क्लास की बजाए सैकिंड क्लास ईटें स्पलाई करते हैं?

Sh. Bansi Lal: Sometimes complaints have been received and some surprise raids have also been made. In some places not only 2nd class but 3rd class bricks have been used. Necessary action is being taken against those officers. Some have been suspended and against others action is under procsss.

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इरीगेशन डिपार्टमैंट जो बिक्र किल्नज के कंट्रैक्ट देता है ईटों की स्पलाई का उसके लिये टैंडर इनवाइट करते हैं या वेसे ही रेट्स फिक्स करके देते हैं?

श्री बंसी लाल: यह फैक्चुअल पोजीशन की बात है इसके लिये पता करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कैसे लेते हैं

लेकिन मुझे इतना पता है कि इरीगेशन डिपार्टमैंट वाले अपने भट्ठे लगवाते हैं। किस तरह लगवाते हैं यह मुझे इस वक्त पता नहीं।

सिचाई तथा वियुत मंत्री (श्री रामधारी गौड़): बाकायदा टैंडर इनवाइट किये जाते हैं।

चौ. बनवारी राम: स्पीकर साहब, यह जो चन्द्रावती जी नाड़ हिला हिला कर कभी हिन्दी में और अभी अंग्रेजी में बोलती हैं क्या वह इंगलैड में बैठी है .....शोर.....

श्रीमती चन्द्रावती: क्या पता मुख्यमंत्री जी नाड़ हिलाते पर पाबंदी लगा दे तो यह बंद हो जायेगी। (हंसी)

चौ. बनारसी दास गुप्ता: और किस किन पर पाबंदी लगा दी है मुख्यमंत्री जी ने?

चौ. दल सिंह: जिला जींद में सरकार ने ईटें फ्रीज की हुई हैं। जिस हिसाब से कोयला मिलता है उस हिसाब से कितनी ईटें बनती हैं इसका पता लग जाता है क्योंकि वह इनकम टैक्स देते हैं ओर सेल्ज टैक्स भी देते हैं। क्या सरकार इस बात की इन्क्वायरी करने के लिये तैयार है कि उन्होंने कितनी ईटें बनाई कितनी फ्रीज करने के बाद सरकार को मिलीं और कितनी और बाकी पड़ी हैं, या ब्लैक में बिकी हैं?

श्री बंसी लाल: अगर कोई ब्रिक किल्न ओनर गड़बड़ करता है तो सरकार इन्क्वायरी करने के लिये तैयार है।

लाला बलवन्त राय तायल: जो कोयले में मैल डिस्ट्रीब्यूशन चलती है क्या उसे दूर करने के लिये सरकार तैयार है?

श्री बंसी लाल: मैल डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है और जैसे कि मैंने पहले ऐक्सप्लेन किया है कि डी.सीज. की दिक्कत यह है कि कोम कम आता है ओर इसके अलावा और भी कई दिक्कतें आ जाती हैं। सिाल के तौर हिसार जिला का हांसी सबडिवीजन जींद सरकल के अंडर है। हिसार का डी.सी. हांसी के ब्रिक किल्न वालों को कोल इसलिये नहीं दइेता कि उनका हल्का ऐस.इ.जींद के अंडर है और जींद का डी.सी यह कहता रहा कि उनका जिला हिसार है या उनका हल्का जिला हिसार में है। मेरा ख्याल है अब कोई रास्ता निकला होगा तो निकला होगा पहले यह बात चलती थी।

Somethings such things do occur, I do not deny. But the real thing is that all these difficulties ar due to shortage of slack coal. In fact there is no shortage of slack coal but here is shortage of wagons. As soon as we get wagons, coal will be made available. Even day before yesterday I had a talk with the Railway Minister and he has said thatin 4 or 5 days he would try to meet the requirements of Haryana.

(Smt. Chandravati rose to put supplementary question.)

Mr. Speaker: Has Ch. Banwari Ram no objection to your asking a supplementary question? (Laughter....)

चौ. बनवारी राम: स्पीकर साहब, आप भी अंग्रेजी में बोल गये मुझे तो पता नहीं लगा कि आप क्या बोल गये। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: मुख्यमंत्री जी ने फरमाया था कि कुछ इस तरह की शिकायतें मिली है। तो मैं जानना चाहती हूं कि जिन गवर्नमैंट स्पांसर्ड कंट्रैक्टर्ज ने फर्स्ट क्लास की बजाये उसी रेट पर सैकिंड कलास ईटें दी हैं उनको क्या गवर्नमैंट ब्लैक लिस्ट करने के लिये तैयार है?

Mr. Speaker: They say action will be taken; enquiry will be made.

लाला बलवन्त राय तायल: मेरा मैल डिस्ट्रीब्यूशन से यह मतलब था कि यह जो डी.सीज किसी को एक बैगन दे देते हैं और किसी को बीस, क्या इस चीज को रैगुलेट करने के लिये सरकार तैयार है कि वह ऐसा न करें?

श्रीबंसी लाल: ऐसी बातें मेरे नोटिस में आई हैं कि किसी आदमी को एक रैक दे दिया या दो रैंक दे दिये ओर वह कोल बेकार है और भट्ठा चालू नहीं किया गया क्योंकि वे कहते हैं कि वे 3 महीने के लिये लेबर ऐंगेज करते हैं और अगर एक दो वाक्स से भट्ठा चलायें तो एक दो महीने में काम खत्म हो जायेगा और फिर वे लेबर कहां से लायेंगे। ऐसी कई किस्म की दिक्कतें डी.सीज. के सामने हैं और उधर उनको

कामों के लिये ईटें चाहियें। यह सारी बातें देखनी होती है। डी. सीज. को किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हालात आनरेबल मैम्बर को इंडिविजुवली किसी किस्म की शिकायत हो तो he can bring it to the notice of the Government; he can also bring it to the notice of the Deputy Commissioner concerned.

चौ. रणबीर सिंह: क्या खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसी कालेज की ओर से कोई संस्था कोयले के लिए दरख्वास्त दे तो क्या वह मांग पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी?

श्री बंसी लाल: इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं।

चौ. दल सिंह: क्या यह दुरूस्त है कि जींद में भट्ठे वालों के लिए कोयले का एक रैक आया था और वह जीं की बजाए हिसार के लिए तबदील कर दिया गया था?

श्री बंसी लाल: मैं आफ हैंड कुछ नहीं कह सकता। अगर तबदील किया होगा तो खास वजुहात से किया गया होगा क्योंकि हिसा डिस्ट्रिक्ट मीटर गेज लाईन पर है। महेन्द्रगढ़ जिले का कोयला या जींद आयेगा या रोहतक आएगा क्योंकि यहां ब्रौड गेज लाईन है। हिसार जिले में कोयले की सबसे ज्यादा रिक्वायरमैंट हैं लेकिन वहां सबसे कम कोयला जाता है। हिसार में एक ही तरफ से ब्रौड गेज लाईन हैं जो कि केवल हिसार स्टेशन तक ही जाती है। बाकी दादरी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी केवल नैरागेज लाईन पर है।

Education Qualificatioins of the Chairman/Members of the Improvement Trust, Rohtak

***1376. Sh. Mangal Sein**: Will the Minister for Health be pleased to state the educational qualifications of the Members and the Chairman of the Inprovement Trust, Rohtak.

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed):

1	Seth Sri Kishan Dass, Chairman	Urder Matric
2	Sh. Bharat Singh, Member	Matric
3	Sh. Sher Singh, Member	Urder Matric
4	Sh. Jag Mohan Bakhsi, Member	Urder Matric
5	Sh. Bal Raj, Member	Intermediate
6	Sh. Ram Parshad Sharma, Member	Urder Matric
7	Sh. R.S. Aggarwal, Member	M.Sc., H.C.S.

श्री मंगल सैन: क्या लोकल बाडी मिनिस्टर साहब फरमाएंगे कि ए–क्लास म्युनिसिपल कमेटी में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है?

श्री खुरशीद अहमद: बेसिक क्वालिफिकेशन कोई नहीं है।

श्री मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने या इनकी सरकार ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन्ज होनी चाहिएं, कौन चेयरमैन होना चाहिए, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए या उनकी कंट्रोल करने की कपैसिटी क्या होनी चाहिए .....?

श्री खुरशीद अहमद: हम जनरली असैसमेंट देखते हैं। जो आदमी मुनासिब दिखाई देता हे उसका चेयरमैन बना देते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जो मुनासिब दिखाई देते हैं उसको बना देते हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मुनासिब की डैफीनीशन क्या है?

श्री खुरशादी अहमद: जिसका पब्लिक सेवा का रिकार्ड हो और जो म्युनिसिपल कमेटी का प्रेजीडेंट रह चुका हो।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, रोहतक का चेयरमैन डाक्टर साहब का भाई है, उनकी क्वालिफिकेशन इनसे मिलती हैं, उनका साईज भी मिलता है (हंसी)

श्री मंगल सैन: इसमें कोई शक नहीं कि हमारा साईज बराबर है (हंसी)। मैं मंत्री महोदय से ऐग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जानना चाहता हूं। वे तो बेचारे प्राईमरी पास हैं और आपने कहा कि अंडर मैट्रिक हैं। क्या वजीर साहब उनका मिडल का सर्टिफिकेट प्रोडयज करने के लिए तैयार है?

श्री खुरशीद अहमद: मैट्रिक के नीचे का सर्टिफिकेट कभी देखा नहीं जाता। जैसे तजुरबे के हिसाब से ठीक हैं क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी के प्रैजिडेंट रह चुके हैं। ऐसे तो डाक्टर भी एम.बी.बी.एस. की डिग्री वाले को ही कहते हैं मगर जो दो चार जड़ी बूटियों के बारे में जानता है उसको भी हम बाई कर्टसी डाक्टर कह देते हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: लेकिन वह तो बाई कर्ट्रसी अंडर मैट्रिक है। (हंसी)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे भाई खुरशीद अहमद ने कहा कि मैं कुछ जड़ी बूटियों को जानकर डाक्टर बना हूं। खुरशीद अहमद जी, अगर मै। जड़ी बूटियों से डाक्टरी करता होता तो उनके सारे रोग दूर कर दिए होते। डाक्टर आप कहते हैं, मैं अपने आपको डाक्टर नहीं कहता। स्पीकर साहब, इन्होंने फरमाया कि वे म्युनिसिपल कमेटी के प्रैजिडेंट भी रहे हैं, इसलिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। मैं आपके द्वारा उनसे यह स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी गवर्नमैंट ने कोई क्वालिफिकेशन या कोई क्राइटेरिया ले–डाउन किया है? स्पीकर साहब, मेरी नालेज के अनुसार तो

क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन हो और इसके साथ ही ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रैफरेबली एल.एल.बी. होना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ग्रेजुएट वाली कंडीशन वेव क्यों की है?

श्री खुरशीद अहमद: स्पैसिफिक क्वालिफिकेशन कोई नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (बैठे हुए) **** ?

Mr. Speaker: You must first get up and then talk.

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री भजन लाल: मुझे पूछने का हक है।

Mr. Speaker: Yes, you certain have, but you must get up.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सदन में अपोजीशन पार्टी की तरफ से ट्रेजरी बैचिज से या मिनिस्टर से क्वैश्चन पूछे जाते रहे हैं। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या अपोजीशन से ट्रेजरी बैंचिज का मिनिस्टर कवैश्चन पूछ सकात है? ये पूछते हैं कि **** क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपोजीशन नौमीनेट करती है या ट्रेजरी बैंचिज वाले करते हैं? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Smt. Chandravati: May I know from the Hon. Chief Minister.

गृहमंत्री (श्री के.एल. पौसवाल): आपको पात है कि श्री बनवारी राम जी क्या कह रहे थे?

श्रीमती चन्द्रावती: मुझे इन्ट्रप्ट न करें। I wanted to pur a supplementary to Ch. Khurshed Ahmed. Sh. Banwari Ram should not distrub me.

Mr. Speaker: He should not interrupt. Anybody can speak either in English or Hindi.

Smt. Chandravati: May I know, Sir, from the Hon. Minister as to how he is going to define "under Matic"? And, if there is any under Middle, that should also be defined.

श्री खुरशीद अहमद: अंडर मिडल का तो मुझे मालूम नहीं होता भी है या कि नहीं होता लेकिन अंडर मैट्रिक मैंने जरूर सुना है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट रोहतक के सात मैम्बर है सात मैम्बरों में श्री आर.एस. अग्रवाल हरियाणा सिविल सर्विस के हैं और बाकी छः नान–आफिशियल मैम्बर हैं। इन छः नान–आफिशियल मैम्बरों में एक मैम्बर हैं जिनका नाम बलराज है। ये चौ. चांद राम के पी.ए. हुआ करते थे। मैं इनको पर्सनली जानता हूं, ये मैट्रिकुलेट नहीं हैं ओर यहां रिप्लाई में इन्टरमीडिएट लिखा हुआ है। एक तो आप इस चीज को क्लैरिफाई कर दें। दूसरे इन छः में से एक मैट्रिक हैं और पांच

अंडर मैट्रिक हैं। कया मैं जान सकता हूं कि ऐसी कम क्वालिफिकेशन के लोगों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मैंम्बर लगाने का क्या कारण है?

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री खुरशाद अहमद: इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। कोई स्पैसिफिक ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी मैम्बर या चेयरमैन के लिए प्रैसक्राइब्ड नहीं है। किसी को भी, अगर अंडर मैट्रिक से नीचे भी हो, सरकार अप्वांयट कर सकती है।

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बंसी लाल: चौधरी साहह, आप तो क्वैशचन आवर में प्वांयट आफ आर्डर पूछने के खिलाफ हैं?

Mr. Speaker: Correct. Normally there is no Point of Order during the Question Hour.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का सुझाव दुरूस्त है। अगर आप मुझको बाद में टाईम दे देंगे तो मैं नहीं पूछता।

श्री अध्यक्ष: आपको बाद में टाईम मिल जाएगा।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा स्वायत मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एकैडमिक क्ववालिफकेशन के अलावा कोई योग्यता, मसलन होल्डिंग कितनी है, भी देखी जाती है या नहीं?

Sh. Khurshed Ahmed: Sir, this question relates only to educational qualifications. In regard to this matter, let the Hon. Member give a separate notice and I will find it out.

श्री मंगल सैन: क्या सरकार ने डिपार्टमैंट को स्टैंडिग इंस्ट्रक्शनज दी हुई हैं कि 'ए' क्लास म्यूनिसिपैलिटी 'बी' क्लास म्यूनिसिपैलिटी 'सी' म्यूनिसिपैलिटी के इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाते समय अन्य क्वालिफिकेशन देखने के अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि उसकी होल्डिंग बड़ी स्माल होनी चाहिए? क्या यह ठीक है कि सेठ कृष्ण दास जी समाजवादी हैं और क्या ये यह बताने की भी कृपा करेंगे कि उनके पास होल्डिंग स्माल है या लार्ज है?

श्री खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, मैं पहले कह चुका हूं कि इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये जैसा मर्जी जवाब दें या न दें, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारे सबसे बड़े पूजीपति को जिसकी बड़ी लार्ज होल्डिंग है इम्प्रवमैन्ट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष: फिर आपने सवाल ही क्यों पूछा?

Sh. Mangal Sein: I wanted to expose them before the people and tell that this is their socialism, Sir.

श्री खुरशीद अहमद: हम उसकी दौलत छीन कर किसी और को नहीं दे सकते।

श्री मंगल सैन: आप ही ले लो तो भी बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष: वही तो आपका मतलब था। (हंसी और शोर)

श्रम मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां): जनाबे वाला, मैं तो आनरेबल मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं .....

Sh. Mangal Sein: On a Point of Order, Sir. A Minister cannot ask supplementary from a Minister. How is it that a Minister, Khan Sahib, is asking a supplementary question?

Mr. Speaker: It will not be a supplementary.

श्री अब्दुल गफ्फार खां: सप्लीमैंटरी न सही, सबमिशन सही।

Mr. Speaker: Normally as you say, 'Point of Order, Sir' and it turns out to be something different.

Sh. Mangal Sein: I always say 'Submission, Sir'. If it is a submission, it is alright.

श्री अब्दुल गफ्फार खाँ: जनाब, मैं आपकी विसातत से जनाब डाक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि असैम्बली के मैम्बरों की क्वालिफिकेशन क्या है?

श्री अध्यक्ष: मेरा ख्याल था कि आप मिनिस्टरों की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह बात तो जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। पहले मिनिस्टरों से शुरू होना चाहिए। साथ

में उमर का भी पूछना चाहिए कि कितनी होनी चाहिए। क्या अल्ला मियां जब तक न बुलाये तब तक बने रहना चाहिए? (हंसी)

श्री अब्दुल गफ्फार खाँ: यह आपके हाथ की बात नहीं है।

श्री बंसी लाल: आप लोगों को अल्ला मियां ओबलाइज नहीं करेंगे।

श्री मंगल सैन: हम तो चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग खान साहब एक हजार साल तक जीएं और आपके दर्दे सर बने रहें। (हंसी)

***1358. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the total number of cases of culpable homicides and thefts committed in the State during 1968-69, 1969-70 & 1970-71 separately;

(b) the total number of case out of those mentioned in part (a) above year-wise and district-wise which remained untraced on 1-1-72, separately;

(c) the total number of suicides committed during the above years separately;

(d) the effective steps the Government is taking to find out the culprits of untraced cases of culpable homicides and thefts; and

(e) the number of cases of culpable homicides committed in the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 in which challans were presented and out of the said challans in how many cases the accused were convicted?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): The requisite information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a)	No. of culpable homcides committed in the State						No. of thefts committed in the State					
	1968-69		1969-70		1970-71		1968-69		1969-70		1970-71	
	92		89		73		2774		2641		2517	
	No. of cases of culpable homicides committed			Cases remained untraced			No. of cases of culpable homicides committed			Cases remained untraced		
(b) District	68-69	69-70	70-71	68-69	69-70	70-71	**68-69**	69-70	70-71	68-69	69-70	70-71
Ambala	6	4	6		1		371	404	377	107	139	109
Karnal	20	17	9				684	605	645	382	325	166
Gurgaon	19	15	16		1	2	474	455	358	187	193	151
Rohtak	14	12	5				440	441	413	146	172	191

Hisar	25	38	28			2	590	481	496	223	136	198
Jind	3	2	7				111	143	132	67	70	60
Narnaul	5	1	2				104	112	96	21	19	14

(c) No. of suicides committed:

1968-69	1969-70	1970-71
409	419	460

(d) Suspects and accused in other cases are interrogated thoroughly to rrace out untraced cases. Publication of such cases is made in C.I. Gazette. The investigation in selected cases is got conducted through C.I.A. Staff also.

(e) The statement given below shows the number of cases of culpable Homicide challaned in the aforesaid years and of these, the number of cases which ended in conviction.

		1968-69	1969-70	1970-71
(i)	Cases challened	87	85	63
(ii)	Cases in which accused convicted	53	45	30

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, वजीर साहब ने अपने जवाब में फरमाया कि होमीसाईड के कत्ल के केसीज के चालान 68—69 में 87 हुए और 53 मं कंविक्शन हुई, 69—70 में 85 कैसिज

के चालान हुए और कंविक्शन 45 में हुई और 70–71 में चालान 63 केसिज के हुए और कंविक्शन 30 में हुई तो क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि जो कविकट नहीं हो सके उनका क्या कारण है?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, यह तो कोर्टस डिसाईड करती रही है।

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब यह नहीं बतलायेंगे कि इसमें प्रौसिक्यूशन भी काफी वजह रखती है?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, हम तो पूरी कोशिश रखते हैं। हम तो पूरी तरह से केस को कोर्ट में प्रोडयूस कर देते हैं, बाद में कोर्ट ने फैसला देना होता है।

श्री अध्यक्ष: दया कृष्ण जी का सवाल बहुत अच्छा है। It requires examination.

श्री के. एल. पोसवाल: जी हां, मैं मानता हूं कि सवाल बहुत अच्छा है।

श्री दया कृष्ण: क्या इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे?

श्री के. एल. पोसवाल: बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।

Villages affected by the floods in tehsil Safidon

***1373. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether villages Bhiag, Khera, Hadwa and Gangoli in tehsil Safidon were affected by the floods during the year, 1971, if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to overcome the floods in the said villages in future;

(b) whether Deputy Commissioner. Jind issued any instructions to the XEN Drainage, Rohtak to de-water the flooded area referred to in part (a) above; and

(c) if so, whether it is a fact that the XEN Drainage, Rohtak did not take any steps to de-water the said area; and

(d) if reply to part (c) is in the affirmative; the action taken against the XEN Drainage, Rohtak for his lapse?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur): (a) Yea. The area flooded was go de-watered by installing pumps. Teh Bhambeva Drain being constructed would clear flood waters of village Bhiag Khera. For drainage of vilalges Hadwa and Gangoli, action shall be taken for providing link drains after the construction of Bhambeva Drain.

(b) Yes.

(c) No. The flood water was pumped out.

(d) Does not arise in view of reply to part (c) above.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मेरा जो सवाल था वह यह था: "(a) whether villages Bhiag, Khera, Hadwa and Gangoli in tehsil Safidon were affected by the floods during the year, 1971."

इसके जवाब में इन्होंने कहा कि ''यस''। बाकि जितना जवाब है, इस तमाम के तमाम इसके को मैं चैलेंज करता हूं। It is a wrong statement before this House. स्पीकर साहब, ये आज शाम तक अगर साबित कर दें कि एक भी पम्प इन तीनों गांवों में गया है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं चार तारीख को डिफैन्स फंड के लिए एस.डी.एम. विलेज भियाग खेड़ा में गया था। वहां उसने लोगों को बुलाया। लोगों ने उनसे कहा कि चूंकि सरकार ने हमारे गांवों को पाकिस्तान समझ रखा है और इसके अड़ौस–पड़ौस के विलेजीज से पानी निकाल दिया है लेकिन हमारे गांव से पानी नहीं निकाला है इसलिए हम चंदा नहीं देते। एस.डी.एम. ने डी.सी. आफिस से कागजता मंगवाए। कम से कम पचास ऐप्लीकेशन्ज लोगों को वहां मौजूद हैं। बावजूद 20 दफा डी.सी. के स्वयं ऐग्जैक्टिव इंजीनियर को कहने के वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई। डी.सी. का इसमें कोई कसूर नहीं है। ऐग्जैक्टिव इंजीनियर ही कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने क्योंकि असलियत को चैलेंज किया है इसलिए इस सवाल को आप सोमवार के लिए रख दें। Meanwhile we get full

information. अगर कोई गलत इन्फर्मेशन आई होगी तो हम गलती मानेंगे और जिस अधिकारी ने गलत इन्फर्मेशन दी होगी उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे।

Mr. Speaker: Alright.

***1383. Smt. Chandravati**: Will the Minister for food and Supplies be pleased to state the rate at which the bricks are obtained by the Government from the private brick kiln owner?

Food the Supplies Minister (Sh. Rajinder Singh): the rates for the under mentioned classes of bricks fixed by the Government are :-

(i) 1st class bricks:	Rs. 51.00 per thousand
(ii) 2nd class bricks:	Rs. 46.00 per thousand
(iii) 3rd class bricks:	Rs. 46.00 per thousand

Advertisements to Daily, Weekly and Fortnightly News Papers

***1385. Sh. Mangal Sein**: Will the Minister for Home be pleased to state the names of the daily, weekly, fortnightly newspapers and periodicals in the State or outside the State to which advertisement were given by the Haryana State Government during the year 1971?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): A statement is placed on the Table of the House.

Statement showing names of daily, weekly and fortnightly newspapers and periodicals to whom advertisements were released during 1971

Sr. No.	Name of the Newspaper
1	Mail, Madras
2	Navbharat Times, New Delhi
3	National Herald
4	Patriot
5	Hindustan Times
6	Indian Express
7	Times of India
8	Stateman
9	Hindu
10	Hindustan Standard
11	Hindi Milap
12	Vir Pratap

13 Mewat

14 Haryana Patrika

15 Jan Pradeep

16 Hindustan

17 Haryana Nirman

18 Vir Arjun

19 Raj Varanasi

20 Punjab Kesri

21 Haryana Times

22 Sunehri Bharat

23 Haryana Shiromani

24 Milap Urdu

25 Pratap Urdu

26 Tej

27 Savera

28 Hind Samachar

29 Pradeep

30 Tarjman

31 Parbhat

32 Rohjan

33 Ranjit

34 Nawan Zamana

35 Ajit

36 Economic Times

Weeklies

1 Indian Tender Journa

2 National Star

3 Overseas Hindustan

4 Young Indian

5 Pioneer

6 Shankers Weekly

7 Punjab Mail

8 Haryana Chronicle

9 Secular Democracy

10 National Solidarity

11 Eastern Economist

12 New Wave

13 Link

14 Height

15 Commerce

16 Dharkan

17 Blitz

18 Haryana Mail

19 Public Opinion

20 Karnal Times

21 Seva Gram

22 Haryana Darpan

23 Purvi Punjab

24 Sanshi

25 Haryana Tilak (Hindi)

26 Gyanodaya

27 Haryana Kesri

28 Saptahik Hindustan

29 Haryana Sandesh

30 Mast Badal

31 Haryana Leader

32 Bhola Insaan

33 Purani Yaden

34 Abhey Doot

35 Vishal Haryana

36 Bharat Darshan

37 Bharat Tek

38 Paigam-e-Watan

39 Rishi Bharat

40 Din Man

41 Shere-e-Haryana

42 haryana Lok Wani

43 Blitz (Hindi)

44 Haryana Doot

45 Jagta Insaan

46 Haryana Tilak (Urdu)

47 Jat Gazette

48 Ambala Times

49 Hindu (Jullundur)

50 Janam Bhumi

51 Drust Guftar

52 Mera Desh

53 Roshni

54 Jagat Netar

55 Paigam

56 National Front

57 Amrit

58 Mazdoor Organiser

59 Arman-e-Haryana

60 Tehquqat

61 Sawaran Yug

62 Shola

63 Karnal times (Urdu)

64 Daler Punjab

65 Fateh

66 Ranjit Nagara

67 Mel Milap

68 Educator

69 Lok Yug

70 Nawan Pind

71 Socialist India

Fortnight lies

1 Agro Industialist

2 Northern News

3 haryana Congress Patrika

4 Gita Jyoti

5 Nirala Jogi

6 Haryana Samvad

7 Pursharthi Gazette

Other periodicals

1 Planned Selling

2 Press Club of India

3 Tourist Trade of India

4 See India

5 Tomorrow

6 Socialist India

7 Indian Labour Bureau

8 INF

9 Afraican Trade Journal

10 India, New Delhi

11 Youth Chronicle

12 On looker, Bombay

13 Democratic Forum

14 Transport and Tourism Journal

15 Indian Oil & Coal Journal

16 Punjab/Haryana/Delhi Chamber of Commerce

17 International living

18 Journal of Marketing and Economic Research

19 Indian Progress

20 Contemporary

21 Sarika

22 Nai Khahaniyan

23 Navneet

24 Niti

25 Jan Sahitya

26 Hindi Shikshik

27 Khatoon Mashric

28 Khandani Mansooba Bandi

29 Jan Nissar

श्री मंगल सैन: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इनके ऐडवर्टिजमेंट देने का क्राइटीरिया क्या है और किस–किस वीकली, फोर्ट–नाइटली और जरनल को ऐडवर्टिजमैंट दी जाती है?

श्री के. एल. पोसवाल: यह कई चीजों पर डिपैन्ड करता हैं। एक तो लैंगवेज की पालिसी भी बनायी हुई है कि वह किस लैंगवेज में छपता है। इस चालीस परसैन्ट हिन्दी अखबार को ऐडवर्टिजमेंट देते हैं, तीस परसैन्ट अंग्रेजी को, बीस परसैन्ट उर्दू को और दस परसैन्ट पंजाबी को देते हैं। दूसरी चीज यह भी देखते हैं कि उस अखबार की कितनी सरकुलेशन है और वह किस–किस एरिया में कितना–कितना जाता है। तीसरी चीज यह भी देखते हैं कि वह कम्यूनलिजम फैलाने वाला अखबार तो नहीं है। इन सभी चीजों को पैशेनजर रखते हुए ही ऐडवर्टिजमेंट दी जाती है।

श्रीमती चन्द्रावली: हरियाणा लिंक की कुल कितनी सरकुलेशन है और उसको कितने रूपये की ऐडवर्टिजमेंट दी जाती है?

श्री के.एल. पोसवाल: इसके लिए आप सैपरेट नोटिस, दें जवाब दे दिया जायेगा। यह सप्लीमेंटरी इस क्वैश्चन में कवर नहीं होता है।

Smt. Chandravati: It covers everything.

Sh. K.L. Poswal: It does not cover.

Smt. Chandravati: It covers.

Sh. K.L. Poswal: You may read the question.

श्रीमती चन्द्रावती: क्या आप इस सप्लीमेंटरी का जवाब मंडे तक देंगे?

Mr. Speaker: The main question is –

"Will the Minister for Home be pleased to state the names of the daily, weekly, fortnightly newspapers and periodicals in the State or outside the State to which advertisements were given by the Haryana State Government...."

So, the amounts have not been asked. Only the names of the papers to which advertisements were given have been asked.

चौ. चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इश्तिहार देते वक्त अपनी स्टेट में छपने वाले अखबारों का भी ख्याल रखा जाता है?

श्री के.एल. पोसवाल: जी हां, जरूरत ख्याल रखा जाता है। अपनी स्टेट में छपने वाले अखबारों को प्रैफरेंस दिया जाता है।

चौ. चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि विशाल हरियाणा पेपर को इस साल कितनी ऐडवर्टिजमेंट दी और भविष्य में कितनी देने के लिए तैयार है?

श्री के. एल. पोसवाल: इसके लिए आप सैपरेट नोटिस दें।

Ch. Chand Ram: Vishal Haryana is a paper which is published .....

मुख्मंत्री (श्री बंसी लाल): विशाल हरियाणा के बारे में पूछ कर यह कोई दूसरा शिकार खेलना चाहते हैं। (हंसी)

Ch. Chand Ram: I have never made any request to you nor would I make any.

Mr. Speaker: That suggestion is reasonable that the papers which are published in the State should be given preference.

श्री के. एल. पोसवाल: इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाता है।

Sh. Satya Narain Syngol: State and Chandigarh, Sir.

श्री मंगल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि चौ. चांद राम विशाल हरियाणा के बारे में पूछ कर कोई दूसरा शिकार खेलना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि उनका दूसरे शिकार से क्या मतलब था। (हंसी)

चौ. रणबीर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हरियाणा पत्रिका को सरकार प्रदेश में छपने वाला पत्र मानती है या हरियाणा से बाहर छपने वाला मानती है?

श्री के.एल. पोसवाल: जैसा आप कहें वैसा मान लेते हैं।

चौ. रणबीर सिंह: मुझे खुशी है कि इस दफा मंत्री महोदय यह मान तो गये कि यह हरियाणा से बाहर छपने वाला अखबार है क्योंकि पिछले सैशन में यह मानने के लिए तैयार नहीं थे।

Shamilat Deh

***1359. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state –

(a) the total area of Shamilat Deh which vested in Panchayats as on 1-1-1967;

(b) the total area of such land as on 1-1-1972;

(c) the total area of such land, which has been disvested from Panchayats through collusive decrees or otherwise during the period from 1-1-1967 to 1-1-1972 year-wise separately;

(d) the total area of such land for which collusive suits or other legal proceedings to divest the same from Panchayats are pending as on 1-1-1972;

(e) whether the Panchayats, Block Samitis and Zila Parishads keep any record of such land;

(f) whether the Government has taken any decision to take possesion of such land; if so, how much land has been taken in possession by the Government upto 1-1-1972; and

(g) the period within which the Government is likely to take possession of all such lands?

Development Minister (Sh. Prabhu Singh): The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Sh. Daya Krishan: Sir, in part(e) of the question it has been asked –

"whether the Panchayats, Block, Samities and Zila Parishads keep any record of such land; "

इस सवाल का जवाब देना तो बहुत आसान था। इसमें इतनी ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं थी। यदि सरकार इस प्रश्न के किसी पार्ट का जवाब दे सकती हो तो दे देना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक उनका क्या ख्याल है?

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, किसी एक पार्ट का जवाब देने से सवाल का पूरा मतलब हल नहीं हो सकता है। इस सवाल के जवाब में पूरी रामायण बन जायेगी। पांच हजार पंचायतों का रिकार्ड इकट्ठा करना है।

श्री दया कृष्ण: अगर किसी सवाल का कोई हिस्सा रैलेवेन्ट है तो उसका जवाब दिया जा सकात है और इररैलेवेन्ट को छोड़ा जा सकता है। अगर किसी एक पार्ट का जवाब नहीं दे सकते थे तो न देते लेकिन दूसरे का तो दे देना चाहिए था।

Mr. Speaker: It depends on the thinking. His thinking is what he has told you. I cannot force an answer from the Minister. But, personally I feel that if there is any important question or any question by an Hon. Member and if an answer could be given to a part of the question and not the whole of it then it should be given.

श्री के. एल. पोसवाल: उसमें बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि आनरेबल मैम्बर तो रेलेवन्ट चीज को ही पूछते हैं। अगर वह चीज रिप्लाई में मौजूद न हो तो बात बनती नहीं है। इसलिए सवाल का पूरा ही जवाब आना चाहिए।

Mr. Speaker: My point was different. What I said is that when you have three parts of a question and you find that to collect information to part (a) is going to take too long and you cannot supply it within ten days or so and information pertaining to parts (b) and (c) is available at the Headquarters then that should be supplied.

श्री के. एल. पोसवाल: बशर्ते कि उनका उससे ताल्लुक न हो।

श्री अध्यक्ष: हां ठीक है।

श्रीमती चन्द्रावती: अगर यह जवाब नहीं देना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है परन्तु किसी पार्ट का जवाब तो दिया जा सकता था और जब आपने इस सवाल को एडमिट कर लिया है। I know the answer is lengthy. But they must have said something or explained some policy, क्योंकि पंचायत की जमीन का मामला है

और रोजाना इस तरह की चीजें इस तरह की चीजें होती हैं इसलिए as a matter of fact, some policy should have been given or explained before the House. If the Hon. Minister cannot give the answer today, it must be given some other time. The answer must be given.

Mr. Speaker: This time, I find, that the Ministers were handicapped because the time available to them was comparatively less.

Smt. Chandravati: This was their own choice, Sir.

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हाउस को बताना चाहता हूं कि जहां तक इस सवाल के किसी पार्ट का जवाब देने का ताल्लुक है उससे पूरा मतलब मेम्बर्ज का हल नहीं होगा। इस पूरे सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक पार्ट का जवाब दिया गया तो फैक्ट्स अधूरे रह जायेंगे क्योंकि इस सवाल में जमीन भी पूछी गयी है और डेटस भी पूछी गयी हैं। इसलिए इसका पूरा ही जवाब आना चाहिए। जो बात आनरेबल मैम्बर बहिन चन्द्रावती जी ने पूछी है वह जायज है मैम्बर्ज को सरकार की पालिसी का पता होना ही चाहिए। इसलिए मैं मैम्बर्ज साहबान को यह बताना चाहता हूं कि पंचायत की जमीन के बारे में पालिसी सरकार के जेरेगौर है। सरकार कौल्युसिव डिग्री के खिलाफ कोर्ट में जायेगी।

Mr. Speaker: I think, that was the aim.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से जवाब नहीं दिया जा सकता है परन्तु यह सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब जरूर आना चाहिए। यदि मिनिस्टर साहब इस सवाल का जवाब बाद में तैयार करा के मैम्बरों के घर भिजवा दें और इस प्रश्न को अब स्टार्ड कवैश्चन की बजाए अन–स्टार्ड क्वैशचन मान लिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। सूबेदार साहब ने कहा है कि इसकी बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट बनेगी। इसलिए उसको घर ही भिजवा दिया जावे।

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हाउस को आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे ये कितने ही हजार पेज बने, इस सवाल का जवाब हर मैम्बर के घर भिजवा दिया जायेगा और चौ. रणबीर सिंह जी के घर दो कापियां भिजवा दें गे।

श्री एस.पी जयसवाल: स्पीकर साहब, हमारी गवर्नमैंट के मंत्रियों ने कुछ ऐसी हैबिट बना ली है कि वे सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं और आपने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं उनको प्रैस नहीं कर सकता। अगर आप उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं तो आपकी अपनी पावर भी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस घर में, इस हाउस के कस्टोडियन हैं और खासतौर से माइनोरेटीज के राइट्स के तो आप ही कस्टोडियन हैं। आपको रूल 57 में पावर दी हुई है। इस रूल में दिया हुआ है –

Mr. Speaker: I will tell you the remedy. (Interruptions)..... I would like to answer his Point of Order. Mr. Jaiswal, there is a saying, 'God helps those who help themselves'. Now today the Hon. Members are much more than the Ministers and if they feel that their rights are jeopardised, answers are not actually given.... I am glad Subedar Sahib agreed to the suggestion of Ch. Ranbir Singh today to give a comprehensive answer. But I am sure if the Hon. Members want the answer to be given nobody can deny the answer. It is amongst you friends and colleagues.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, I had not drawn your attention to the generosity of my friends on the other side but am invoking the exercise of your power. Their generosity is not needed.

Mr. Speaker: I want co-operation of the Hon. Members and Ministers. The Hon. Ministers should, on their part, go out of their way to satisfy the Members.. (Noise) But if someone is hoodwinking, the Members should rise up and say 'No' and they will give the answer.

Sh. S.P. Jaiswal: May we know whether you propose to invoke your power under Rule 57(1) to force an answer by allowing half-an-hour discussion.

Mr. Speaker: Certainly. Give notice for it.

Sh. S.P. Jaiswal: Rule 57(1) does not require notice under this. You can use your discretionary power. It is under rule 57(2) where notice is necessary.

Mr. Speaker: We will discuss that again.

Rule reads –

"A member wishing to raise such a matter shall give notice in writing to the secretary .....

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, you are reading Rule 57(2) which requires us to give notice. But I am drawing your attention to Rule 57(1) which gives you the discretionary power.

Mr. Speaker: Rule 57(1) reads –

"The Speaker may allot half-an-hour for raising discussion on a matter of sufficient public imporatance which has been the subject of a recent question, oral or written and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of the business of the day, whichever is earlier."

Actually I agree with you and I have done this in some cases. In one case, I remember, during the last session or the previous one, one question was not properly answered and the members wanted to know more and more about it. We had a half-an-hour discussion about it.

Sh. S.P. Jaiswal: Thank you.

Loans by Harijan Kalyan Nigam Ltd., Haryana

***1374. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total amoutn of loans sanctioned and distributed by the Harijan Kalyan Nigam Ltd., Haryana district-wise upto 31-12-1971; and

(b) whether Harijan Kalyan Nigam, Haryana has also sanctioned and distributed loans to non-Harijans?

Development Minister (Sh. Prabhu Singh):

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No

Statement showing the amount of loans sanctioned and distributed by the Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd. District-wise upto 30-12-1971

	Name of the District	Amount Sanctioned	Amount Distributed
		Rs.	Rs.
1	Ambala	144000	19600
2	Gurgaon	357500	166500
3	Hisar	1793600	683000
4	Jind	80000	60200
5	Karnal	637500	219000

6	Mohindergarh	35000	3000
7	Rohtak	352000	136700
	Total	3399600	1288100

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, सरकार ने जवाब में यह फरमाया हे कि 33 लाख 99 हजार, 600 रूपये का कर्जा मंजूर किया है। इसके अन्दर 17 लाख 93600 रूपया अकेले हिसार जिला के लिये है। कल जब मैंने बजट में जिला जींद का जिक्र किया था तो उस वक्त मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, परपोरशनेटली यानी आबादी के हिसाब से हर जिले को रूपया तकसीम करेंगे। इसमें आधे ज्यादा कर्जा तो अकेले जिला हिसार के लिये मन्जूर किया गया है और बाकी छः जिलों के लिये मन्जूर किया गया है। इसका क्या कारण है? मिनिस्टर साहब की कल वाली स्टेटमैंट ठीक है या आज वाली?

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर की इन्फर्मेशन के लिये यह बताना चाहता हूं कि मेरा कल वला जवाब भी ठीक है और आज वाला भी। दोनों जवाब ठीक हैं। 23 लाख रूपया अभी और सैक्शन होना बाकी है। .....(व्यवधान)..... स्पीकर साहब, मैं यह बता रहा था कि हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि जहाँ–जहाँ मिल्क प्लान्ट हैं वहाँ यह कर्जा ज्यादा दें। हिसार में भिवानी का मिल्क प्लान्ट अब पूरा हो गया है। जीन्द का मिल्क

प्लान्ट चल ही रहा है। इन मिल्क प्लान्टों को फीड करने के लिये दूध का पैदा करना जरूरी है .....

चौ. दल सिंह: यहाँ दूध का सवाल थोड़े ही है!

श्री प्रभु सिंह: तो उस कर्जे से क्या पत्थर खरीदेंगे।

Mr. Speaker: No interruptions, please.

श्री प्रभु सिंह: किसी आनरेबल मैम्बर साहब ने इस बारे में कुछ और पूछना हो तो यहीं हूं। मैं यह कह रहा था कि हमारे पास कुछ और रूपया बाकी है। जैसे मैंने कल कहा था कि आबादी के हिसाब से तकसीम करेंगे, वैसे ही एक आना भी जिला हिसार को ज्यादा नहीं देंगे, मैं यह अश्योरैन्स हाउस को देता हूं। मैं चौधरी दल सिंह को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे यह चैलेन्ज किया था कि अगर जीन्द जिला को एक आना भी दिया गया हो तो वह इस्तीफा दे देंगे। अब जबकि डिस्ट्रिक्ट जीन्द के लिए 80 हजार रूपया सैंक्शन हो गया है और 60 हजार, दो सौ रूपया वहां पहुंच चुका है तो आप उनसे यह पूछ लीजिये कि क्या वह इस्तीफा देकर जायेंगे या वैसे ही चले जायेंगे।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि मै। इनके चैलेन्ज को मन्जूर या नामन्जूर करूं मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रोफार्मा प्रैसक्राइब किया हुआ है, उसके अन्दर यह कैसे कहा है: That proforma is meant for Backward

Classes and Harijans. बैकवर्ड क्लासिज के लिये इन्होंने एक भी पैसा सैंक्शन नहीं किया है जबकि इनके प्रोफार्मा के अन्दर यह लिखा हुआ है कि यह कर्जा हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिये है। That is correct. Hundred per cent corrent. मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह गवर्नमैंट महज कागजों में दिखलाने के लिये बैकवर्ड क्लासिज को रखना चाहती है यह कुछ कर्ज देना भी चाहती है?

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, आपके जरिये आनरेबल मैम्बर साहबान को यह बताना चाहता हूं कि उनके आज के बोलने से मुझे यह मालूम हुआ है कि इनकी नौलेज बहुत कम है। इनको स्टडी करनी चाहिए क्योंकि जब नाम ही हरिजन वैल्फेयर निगम है तो उसमें बैकवर्ड क्लासिज का तो सवाल ही पैदा नही होता।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब गुजारिश यह है कि इसका प्रोफार्मा अब भी इनके पास होगा, नहीं है तो मंगवा लिया जाये..... .....

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): जिसकी आप बात कर रहे हैं, वह तो वेल्फेयर डिपार्टमैंट का प्रोफार्मा है।

चौ. दल सिंह: दूसरी बात इन्होंने यह फरमायी है कि जिला जीन्द के अन्दर 60 हजार रूपया चला गया है। मैं अब भी कहता हूं कि जिला जीन्द के अन्दर किसी को कर्जा नहीं मिला है। मैंने प्रोफार्मा वाली जो बात कही है, उस पर मैं अब भी स्टैंड

करता हूं। अगर वैसा प्रोफार्मा है, जैसा कि ये कहते हैं, तो मैं अवश्य रिजाइन करूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब की नौलेज में है कि हिसार में हरिजन कल्याण निगम से कुछ लोगों ने बेनामी लोन लिये हैं? अगर यह सत्य है तो क्या वे इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री प्रभु सिंह: आनरेबल मैम्बर ने जो बात कही है, यह तो कोई ज्योतिषी ही समझ सकता है क्योंकि यह ज्योतिष का काम है। .....(व्यवधान)..... सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई आनरेबल मैम्बर सरकार से यह दरख्वास्त करें और लिखकर दे तो सरकार इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार है और इन्साफ करेगी।

श्रीमती लेखवती जैन: मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह पूछना चाहती हूं कि अम्बाला में मिल्क प्लांट लग रहा है तो क्या आनरेबल मिनिस्टर उसके लिए और ज्यादा रूपया देंगे?

श्री अध्यक्ष: बहन जी, इस सवाल में यह कहां से आ गया (हंसी) (व्यवधान)।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): बहन जी को कभी–कभी तो बोलने का टाईम मिलता है क्योंकि ज्यादातर तो उन्हें चेयर पर ही बैठना पड़ता है। इसलिए कुछ तो जवाब मिलना ही चाहिए (व्यवधान)।

Mr. Speaker: This supplementary is not covered by this question.

श्री प्रभु सिंह: बहन जी एक लाख चवालीस हजार रूपया सैक्शन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: सूबेदार साहब, टाईम खत्म हो चुका है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह सवाल अगले दिन के लिए कैरी ओवर होना चाहिए।

चौ. चांद राम: जनाब, यह बहुत ही इम्पोरटेंट सवाल है इसको जारी रखना चाहिए।

श्री मंगल सिंह: स्पीकर साहब, इसको कल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी सवाल है और बहुत ही कन्ट्रोवरशियल है इसलिए इसको जारी रखा जाए।

चौ. रणबीर सिंह: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि प्रश्नोत्तर खत्म होने के बाद मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाये की इजाजत होगी। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय जो सवाल था वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैंन की क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में था लेकिन जो जवाब दिया गया वह पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के सम्बन्ध में था। मैं समझता हूं कि वह सदन की

कार्रवाई से निकाल दिया जाए क्योंकि इसमें न सदन की शोभा है और न ही मंत्री महोदय या मन्त्रिमण्डल की शोभा बढ़ती है। अगर उसको सदन की कार्यवाही में शामिल किया जाता है तो वह कहां रहेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि उसको कार्यवाही से खारिज कर दिया जाए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा सबमिशन है .....

Mr. Speaker: Let me answer. The reference to the Public Service Commision will be expunged.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने उस वक्त चौ. चांद राम को पुकार लिया था कि आप सप्लीमेंटरी करें और सूबेदार साहब ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो यह बता दूं कि हिसार में हरिजन निगम से कुछ रूपया बोनस् नाम से लिया गया था ....

श्री प्रभु सिंह: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने यह कहा था कि मेरी सरकार कोई ज्योतिषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि आपने चौ. चांद राम का नाम पुकारा जब बहन चन्द्रावती जी ने कहा कि हिसार में कोई वकील हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और उन्होंने बोगस नाम से रूपया निकलवाया। स्पीकर साहब, यह बहुत

जरूरी मामला है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि आप कोई ऐसी बात लांए, जो रीजनेबल हो, जो रेशनल हो, इन दी इंटरेस्ट आफ दी स्टेट हो। स्पीकर साहब, हम यह मामला बता रहे हैं इसलिए ये इसकी इन्क्वायरी करवाएं।

श्री बंसी लाल: मैं अभी इसका फैसला कर देता हूं। डाक्टर साहब ने एक इल्जाम लगाया। मेरा कहना यह है कि अगर यह जिम्मेदारी के साथ इल्जाम लगाएं, ऐफिडेविट दे तो मैं कल ही विजलैंस को इन्क्वायरी दे देता हूं।

Mr. Speaker: Subedar Prabhu Singh had also said this. He had given an assurance that if any allegation is brought to his notice, he will have an enquiry made.

Sh. Bansi Lal: the complainant, who makes a complaint, will also be responsible to prove it.

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। जैसे डाक्टर मंगल सैन ने कहा है मैंने भी उसी तरह कहा था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन हिसार की जनता में इसकी खूब चर्चा की जाती है कि बेमानी से पैसा लिया गया है। सरकार इसकी इन्क्वायरी कराए तो अच्छा ही है, यह सरकार के हित में है। अगर कोई इन्क्वायरी नहीं होगी तो सरकार की ही बदनामी है। हमारा काम तो सरकार के नोटिस मं लाना है।

श्री बंसी लाल: जिम्मेदारी के साथ हाउस के बाहर लिखकर दें हम जरूर इन्क्वायरी कराएंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि ऐफिडेविट दें, बाहर ऐलीगेशन लगाएं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम उनकी हैल्प चाहते हैं और वह यह कि जिन लोगौं को ट्रेक्टर्ज के लिये लोन दिया गया है उनकी लिस्ट हमें दे दें तो हम ऐफिडेविट दे देंगे।

श्री बंसी लाल: हमें कोई एतराज नहीं है, हम दे देंगे।

Sh. S.P. Jaiswal: May I know Sir, through you from the Chief Minister, whether the statements made by the Honourable Members in this House are not responsible enough, even without the affidavits? In fact, every statement made by an honourable Member on the floor of the House is a responsible statement, and the Government should take notice of it. They should institute an enquiry and satisfy themselves wiht regard to the allegations made.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी सवाल है, इसके अन्दर बहुत ज्यादा इन्फरमेशन चाहिए। आप इसके लिए सोमवार को टाईम दे दें तो अच्छा रहेगा।

Mr. Speaker: A number of supplementaries have been made. In fact, you have got what you wanted. You made a number of supplementaries.

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब, वैसे तो जो भी इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग होगी हम उसको मानेंगे लेकिन बात यह है कि आपने मेरा नाम पुकारा। बीच में मिनिस्टर खड़े हो गए।

मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सवाल को जारी रखा जाए। इस सवाल में कई पहलू अहम हैं। जब 40–50 हजार दरख्वास्तें आई हैं, उन दरख्वास्तों को डिस्पोज आफ करने का क्या क्राईटेरिया है? जिलों में तकसीम करने का, तहसीलों में तकसीम करने का क्या क्राईटेरिया रखा है? इसी तरह के और सवाल हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो सोमवार को इसे जारी रखें।

Mr. Speaker: Let me make an observation please. What I am prepared to do, is to look into the proceedings and find out how the questions have been asked and only then I can take my decision. However, I feel that on this question, quite a lot has been dealt with. There is one thing more. Today, there is a discussion on the demands and you are again losing time.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि इसक्वेश्चन को जारी रखा जाए यह बहुत ही इम्पोर्टटैंट है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, बोलने के लिए तो कई मौके हैं, सप्लीमेंटरी डिमान्डज हैं, एप्रोप्रिएशन बिल है। उस वक्त भी बोला जा सकता है।

Mr. Speaker: The Member may give a notice. I will then get it examined.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULE 45

Nominations in the Cooperative Societies

***1384. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the total number of nominations made in all the Co-operative Societies in the State during the year 1969, 1970 and 1971 separately?

Excise, Taxation & Co-operation Minister (Sh. Sarup Singh): The total number of Co-operative Societies in which nominations were made alongwtih the total number of Directors nominated during the year 1969, 1970 and 1971 separately, is given below:-

Years	Total No. of Societies having nominated Committees	Total No. of Directors nominated
1969	1	6+2 in 1970+1 in 1971 Total 9
1970	1	5
1971	26	159

Students Strike in Haryana Ayurvedic College, Rohtak

***1386. Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether the students of Haryana Ayurvedic College, Rohtak went on strike in the month of November, 1971; if so, the reasons therefor; and

(b) whether the Government received any memorandum, representation or telegram from the said students or any deputation of such students met the Government, if so, the steps, if any taken by the Government thereon?

Health Minister (Sh. Kurshed Ahmed):

(a) Yes. There was a dispute between the students of Haryana Ayurvedic College, Rohtak and its management.

(b) Yes. The Director was asked to conduct as enquiry in the matter. The enquiry was held on 6-12-71. by then, the strike had already ended after an agreement between the students and the management of the College.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): I beg to lay on the Table a copy of te 3rd Annual Report of the Haryana State Small Industries & Export Corporation Limited as required under Section 619-A/(2) of the Indian Companies Act, 1956.

DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save time of the House, all the Demands for Grants appearing on the Order Paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can raise discussion on the Demands, but while speaking they will have to indicate the Demands Number on which they want to raise discussion. Guillotine will be applied 45 minutes before the hour of interruption.

I would also suggest that to enable maximum number of Members to participate in the discussion, those Members, who have already spoken in the General Discussion, may not try to catch my eye to-day. This will help others to participate.

Demand No. 1 That a sum not exceeding Rs. 11916580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 9-Land Revenue.

Demand No. 2 That a sum not exceeding Rs. 974490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 10-State Excise duty.

Demand No. 3 That a sum not exceeding Rs. 681260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 11-Taxes on vehicles.

Demand No. 4 That a sum not exceeding Rs. 4384580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 12-Sales Tax.

Demand No. 5 That a sum not exceeding Rs. 2395900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 13-Other Taxes and duties.

Demand No. 6 That a sum not exceeding Rs. 390010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 14-Stamps.

Demand No. 7 That a sum not exceeding Rs. 38080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 15-Registration Fees.

Demand No. 8 That a sum not exceeding Rs. 2868900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 18-Parliament, State/Union Territory Legislatures.

Demand No.9 That a sum not exceeding Rs. 31820860 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 19-General Administration.

Demand No. 10 That a sum not exceeding Rs. 4159168 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 21-Administration of Justice.

Demand No. 11 That a sum not exceeding Rs. 8502190 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 22-Jails.

Demand No. 12 That a sum not exceeding Rs. 49233350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 23-Police.

Demand No. 13 That a sum not exceeding Rs. 544840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 25-Supplies and Disposals.

Demand No. 14 That a sum not exceeding Rs. 4084310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 26-Miscellaneous Departments.

Demand No. 15 That a sum not exceeding Rs. 57440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 27-Scientific Departments.

Demand No. 16 That a sum not exceeding Rs. 203773360 be granted to the Governor to defray the charges that will

come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 28-Education.

Demand No. 17 That a sum not exceeding Rs. 50434500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 29-Medical.

Demand No. 18 That a sum not exceeding Rs. 49886220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 30-Public Health.

Demand No. 19 That a sum not exceeding Rs. 13786100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 30-A-Family Planning.

Demand No. 20 That a sum not exceeding Rs. 80627970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 31-Agriculture.

Demand No. 21 That a sum not exceeding Rs. 20321670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 33-Animal Husbandry.

Demand No. 22 That a sum not exceeding Rs. 11859800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 34-Co-operation.

Demand No. 23 That a sum not exceeding Rs. 13074040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 35-Industries.

Demand No. 24 That a sum not exceeding Rs. 28421560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

Demand No. 25 That a sum not exceeding Rs. 15680460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 38-Labour and Employment.

Demand No. 26 That a sum not exceeding Rs. 12243010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 39-Miscellaneous, social and Developmental Department.

Demand No. 27 That a sum not exceeding Rs. 40879630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 42-Multipurpose River Schemes.

Demand No. 28 That a sum not exceeding Rs. 58447200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 44-Irrigation, Navigation, embankment and Drainage Works (Non-Commerical).

Demand No. 29 That a sum not exceeding Rs. 33940080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Charges on Irrigation Establishment.

Demand No. 30 That a sum not exceeding Rs. 61171700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 50-Public Works.

Demand No. 31 That a sum not exceeding Rs. 23115760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

Demand No. 32 That a sum not exceeding Rs. 3390000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 52-Capital Outlay on Public works.

Demand No. 33 That a sum not exceeding Rs. 143918420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 57-Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 34 That a sum not exceeding Rs. 11023260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 64-Famine Relief.

Demand No. 35 That a sum not exceeding Rs. 16842500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 65-Pension and Other Retirement Benefits.

Demand No. 36 That a sum not exceeding Rs. 93600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 67-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

Demand No. 37 That a sum not exceeding Rs. 9419950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 68-Stationery and Printing.

Demand No. 38 That a sum not exceeding Rs. 13088440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 70-Forest.

Demand No. 39 That a sum not exceeding Rs. 51920830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 71-miscellaneous.

Demand No. 40 That a sum not exceeding Rs. 56450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 76-Other Miscellaneous Compensations and Assignments.

Demand No. 41 That a sum not exceeding Rs. 5800000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Demand No. 42 That a sum not exceeding Rs. 3991800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Demand No. 43 That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Demand No. 44 That a sum not exceeding Rs. 241914460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainages Works (Commercial).

Demand No. 45 That a sum not exceeding Rs. 276938500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 46 That a sum not exceeding Rs. 700000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 109-Capital Outlay on other Works.

Demand No. 47 That a sum not exceeding Rs. 19576500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 48 That a sum not exceeding Rs. 269000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

Demand No. 49 That a sum not exceeding Rs. 826331050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 124-Capital Outlay on Scheme of Government Trading.

Demand No. 50 That a sum not exceeding Rs. 192242660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Loans of Local Funds-Private Parties, Loans to Government Servants.

Demand No. 51 That a sum not exceeding Rs. 10580520 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Inter-State Settlement.

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

चौ. चांद राम (अबैन–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम एक ऐसी छाया मैं इस बजट पर विचार कर रहे हैं जबकि हमारे देश की रक्षा के लिये, देश की प्रभुसत्ता के लिये कुर्बानियों की आवश्यकता है। आज इस बजट की तरफ देखने से पहले, हमें यह बातें देखनी होंगी कि जिन बातों को लेकर कुर्बानियां हुई और देश का नाम जवानों ने ऊंचा किया है, उसके पीछे क्या भावना थी, क्या सिद्धान्त थे। मैंने उस वक्त भी बोलते हुए कहा था कि हमारे सामने दो ही बातें है, आर्थिक और सामाजिक। मतलब यह कि गरीबी हटाओ और कल्याणकारी राज्य बनाओ। वैसे तो सन् 1950 से ही हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य बनाने की डगर पर चल रहा है लेकिन आज 20–25 वर्षों की आजादी के बाद भी एक ऐसा बजट स्टेट में पेश हुआ है और बजट तो वैसे पार्लियामेंट में भी पेश होते रहते हैं पर हमने इस बजट के अन्दर – (व्यवधान)

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप कौन सी डिमान्ड पर बोल रहे हैं?

चौ. जय सिंह राठी: मैडम, ये सभी डिमान्डज पर बोल रहे हैं, 1 से 51 तक।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप इस निगाह से देखें कि हमारे कल्याणकारी राज्य की इस से प्रगति

होती है तो मैं यह समझता हूं कि यह बजट सारे का सारा निकम्मा बजट है और जो समाजवाद की तरफ हमारी गति तेजी से होनी चाहिये थी वह इस बजट से नहीं हो पाएगी। इस ओर हमारी प्रधानमंत्री जी ने भी बार–बार जोर दिया है कि हमें इस देश के अन्दर समाजवाद लाने की गति को तेज करना चाहिये। यह देश चाहता है कि जो पैसा टैक्स के रूप में वसूल हो वह ऐसे किसी कामों के ऊपर खर्च न हो, जिस पर कि नुक्ताचीनी करने की कोई गुंजाइश हो।

उपाध्यक्षा: देखिए चौधरी साहब, यह जनरल डिसकशन नहीं है, बल्कि डिमांडज पर डिसकशन है।

चौ. जय सिंह राठी: लेडी डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सारी डिमान्डज इक्ट्ठी मूव हो गई थीं और चौधरी साहब 1 से 51 मिमान्डज पर बोल रहे हैं। स्पीकर साहब जब चेयर पर थे तो कह रहे थे कि इकट्ठी मूव कर लो और इक्ट्ठी पर ही बहस कर लेना।

उपाध्यक्षा: स्पीकर साहब ने तो यह कहा था:

"Members may raise discussion on the demands but while speaking they will have to indicate the demand number on which they want to raise discussion".

चौधरी साहब, जब आप बोलते हैं तो आपको बताना चाहिये कि मैं इस डिमांड पर बोल रहा हूं।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा हूं कि जब डिमान्डज इकट्ठी मूव हो चुकी हैं तो मैं 1 से 51 डिमान्डज पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष: चौधरी साहब, आप ऐट ए टाइम एक पर बोल सकते हैं। अगर मैं इस तरह से सभी के ऊपर बोलने के लिये एलाऊ करूं तो यह जनरल डिसकशन हो जाएगी।

चौ. चांद राम: आप पिछली कोई किताब खोल कर देख लें। उसमें इकट्ठी डिसकशन होती रही है। (शोर)

उपाध्यक्षा: आपको यह नहीं पता मुझे पता है। आपको मुझे यह बताना होता है किस डिमान्ड पर आप बोल रहे हैं। This is my job. I am in the Chair. I know it.

चौ. जय सिंह राठी: मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसका मतलब यह है कि मैम्बर को कुछ नहीं पता। आपको ही सब कुछ पता है। मुझे यह तो बताइए कि आपकी खुदा बनकर बैठी हैं।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): मैडम, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि ये चेयर को कैसे बोल रहे हैं कि आप खुदा बनकर बैठी हैं, इन शब्दों को ऐक्सपंज किया जाए।

उपाध्यक्षा: राठी साहब, यह बात ठीक नहीं है। This is very bad. (Interruptions and noise) I want the Hon. Member should withdraw those words otherwise I will order to expunge them.

चौ. जय सिंह राठी: मैं विदड्रा करता हूं कि मैं आपको खुदा नहीं मानता।

Deputy Speaker: This is also wrong. The manner in which those words have been withdrawn is also wrong.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से बात कही जाए, यह गलत बात है।

उपाध्यक्षा: राठी साहब, आप मिनिस्टर को चीट कर सकते हैं, हाउस को चीट कर सकते हैं लेकिन चेयर को चीट नहीं कर सकते। It is a question of the House and the dignity of the Chair. It is for the Hon. Member to withdraw his words in a proper manner.

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने यह कहा था कि मैं आपकी खुदा नहीं मानता, इन शब्दों को विदड्रा करता हूं।

Deputy Speaker: No, I do not agree. The Hon. Member should say, " I withdraw my words".

चौ. जय सिंह राठी: चलो, जो मैंने कहा वह वापिस।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या अब मैं जनरल डिसक्शन पर बोल सकता हूं?

Deputy Speaker: Yes, you can speak. I asked you that you will mention the demand on which you are speaking. (Interruption)

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कुछ मेम्बर कह देते है। तो तस्लीम नहीं होता और अगर कोई मिनिस्टर कुछ कह देते है तो तसलीम हो जाता है। (शोर)

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं कह रहा था कि ....

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। But you should firstly mention the number of the demand on which you are speaking.

श्री बनारसी दास गुप्ता: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम, मैं आपसे यज जानना चाहता हूं कि मेरे सम्मानित दोस्त राठी साहब बार–बार किस हैसियत में उठकर हाउस को गाईड कर रहे हैं ओर चेयर के प्रति भी कुछ ऐसे वैसे शब्द कहते हैं, और जो उनको वापिस लेने को कहा गया, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ''मैंने जो इलफाज कहे थे वे वापिस''। उन्होंने यह भी नहीं काह कि मैं उन इलफाज को वापिस लेता हूं। तो उनका अपने इलफाज वापिस लेने का तरीका भी ठीक नहीं है।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी गुप्ता साहब ने कहा कि मेरा अपने इलफाज वापिस लेने का तरीका ठीक नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैंने कोई पैंसिल तो पकड़ी हुई नहीं थी जो वापि करने में फर्क पड़ गया। मैंने तो अच्छी भावना

से डिप्टी स्पीकर साहिबा कहा था कि जो लफ्ज मैंने कहे हैं वह वापिस। उनके मन में अगर कोई और भावना है तो वह बनाए रखें लेकिन मैंने तो साफ भावना से कहा था।

Deputy Speaker: Ch. Chand Ram ji, please continue your speech.

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर बीच में इस तरह से इन्ट्रप्शन न हो तो अच्छा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक वैलफेयर स्टेट का जो मंतव्य है। वह आया इस बजट से पूरा होता है कि नहीं। इससे बहुत सी बातें ताल्लुक रखती हैं, हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन किस ढंग से चलती है, यह एक आदमी के इशारे पर चलती है और यहां कोई पर्सनल रूल है या अफसर जो हैं जिनके बारे में प्रोफैसर लासकी ने कहा था कि अफसरों के हाथ में इतनी ताकत है कि वे पर्सनल फ्रीडम को भी खत्म कर सकते हैं, वे कैसे हैं? हरबर्ट मौरीसन ने कहा कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है यह प्रजातन्त्र की कीमत है। अब सवाल यह है कि प्रजातन्त्र कामयाब कब होता है? प्रजातन्त्र कामयाब तब होता है जब इसके पीछे भावना ऐसी हो कि इसमें डिस्पैरिटी कम हो, समाजवाद आए, लोगों की आमदनी का अन्तर कम हो और जो नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाया जाए। अगर हम ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो मेरे ख्याल में कोई भी अफसर अपनी मर्जी से फेसला नहीं कर सकता, उनको ऊपर से डिक्टेशन होती है कि यह फैसले तुमने करने हैं। कुछ मैंबर साहिबान ने यहां पर

कल यह कहा था कि एक मंत्री है और बाकी सारे मंत्री हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब मंत्री तजुरबेकार न हो तो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर और भी ज्यादा जिम्मेवारी आती है। लेकिन यहां पर तो ऐडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेजान और बेमायने कर दी गई है, उनको तो एक आदमी के कहने से सब कुछ करना पड़ता है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आप अपनी बताएं कि आप मंत्री थे या मंत्री थे?

चौ. चांद राम: मैं तो मंत्री ही था। यहां पर बहुत बार कहा जाता है कि हमारी हरियाणा की स्टेट डिवैलपमेंट में नम्बर वन पर है (बहुत सी आवाजें: तो इसमें क्या आपको कोई शक है)। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल मेरे दोस्त श्री जयसवाल साहब ने, जोकि आमतौर पर न इधर का पक्ष लेते हैं और न ही उधर का, अपनी स्पीच के दौरान में बताया कि हरियाणा स्टेट कुरप्शन में भी नम्बर वन पर है। (शोर)

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, may I request the Hon. Chair that the Hon. Member may be taught how to function in the House. There should be no interruptions. Should I quote the Rule? He is constantly interrupting.

Deputy Speaker: This is my function.

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सबमिशन यह है कि कोई आनरेबल मैंबर इस बात का ठेका नहीं ले सकता कि सारे कायदे कानून उसी को ही आते हैं। अगर कोई

ज्यादा साफ और अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है तो उसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ उसी को ही आता है और बाकी कोई कुछ नहीं जानता।

Deputy Speaker: Gupta ji, please take your seat. Ch. Chand Ram ji, please continue your speech.

चौ. चाँद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे समय नहीं आई कि बनारसी दास जी किस बात पर बोल रहे हैं। मैं तो किसी को प्रोवोक भी नहीं करता मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि जो इनका कलेम है कि हमने विकास किया है वह कहां तक सही है। यहां पर हमारी वित्तमंत्री साहिबा ने कहा कि हमारी स्टेट की पर कैपिटा इन्कम इंडिया की पर कैपिटा इन्कम से भी ज्यादा है। हमने देखना यह है कि वह इन्कम किन सैक्शन्ज में जाती है और उन इन्कम की डिस्ट्रिब्यूशन किस वर्ग के लोगों में होता है, हरिजनों में होती है, बैकवर्ड क्लासिज में हाती है जिन दोनों की आबादी की परसेंटेज मिलाकर 37 परसैंट बनती है। हमारे यहां 67 फीसदी किसान है। जिनके पास सात एकड़ से भी कम जमीने हैं, हमने देखना है कि आया उनके जीवन में भी कुछ फर्क पड़ा है या महज चन्द बड़े लोगों के जीवन में ही फर्क पड़ा है। कितनी हैरानी की बात है, वही काम औरत करती है और उसी काम को आदमी कर रहा है लेकिन औरत को अढाई रूपए मजदूरी दी जाती है और आदमी को तीन रूपए देते हैं। आप भी एक औरत हैं और इस वक्त चेयर पर बैठी हुई हैं। हमारे देश के विधान में लिखा

हुआ है कि बराबर के काम के लिए बराबर की तनखाह दी जाए। लेकिन आप इसके उल्ट काम कर रहे हैं। इस देश में अभ्झी इस बात का उपाय किया जा रहा है, कुछ जो फन्डामैंटल राईटस थे उनको तो प्रौमिनेंस दे दी और जो डायरैक्टिव प्रिंसिप्लज थे उनको जस्टिशिएबल नहीं किया गया, यह कहीं पर नहीं किया गया कि अगर कोई उनको लागू नहीं करेगा तो उसको कुछ पैनलटी होगी यह उसे कोई वानिंग वगैरहा ही दी जाएगी। आज विधान मं एक तरमीम हो रही है कि अगर डिसपैरिटी को दूर करने के लिए सरकार कोई जायदाद लेगी और उसके लिए जो मुआवजा तजवीज किया जाएगा वह कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ऐसा हमने सुना है डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक डायरैक्टिव प्रिंसिपल था कि एक समान काम करने वालों को बराबर वेजिज देंगे। लेकिन हमारी बहनें और गरीब लड़कियां सड़कों पर काम करती हैं उनको तो अढ़ाई रूपए दिन के दिए जाते हैं ओर जो वही काम मर्द करता है तो उस को आप तीन रूपये देते हो और उनका नाम कुली रख दिया है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कुली के नाम पर सारे देश में बगावत की गई थी लेकिन आज भी आपकी पी.डब्ल्यू.डी. की किताबों में कुली का नाम है। (व्यवधान) अगर आप औरत को आदमी से कम दिहाड़ी नहीं देते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर आप कम देते हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब इतनी छोटी–छोटी बातों पर आप इस्तीफे की बात न करें।

श्रम मंत्री (श्री रण सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, कोई भी बात हो ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले श्री सत्य नारायण सिंगोल ऐसे ही कह रहे थे और कल चौ. दल सिंह जी भी इस्तीफे की बात कह रहे थे।

Ch. Chand Ram: On what he is speaking? This is no way of interrupting me. With all the respect I would say that he should not interrupt me.

Deputy Speaker: He is on a Point of Order. Let me hear what he says and then I will give my decision.

श्री रणसिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं प्वांयट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहा मैं तो आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि वह गलत बातें कर रहे हैं। हम हरियाणा में कही भी किसी औरत को अढाई रूपए रोजाना मजदूरी नहीं देते।

चौ. चांद राम: मैं तो यह कहता हूं कि आप उनको आदमी से कम देते हैं, अगर आप इस बात से इन्कार करते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे मालूम नहीं कि आप एकचुअली

11.00 A.M.

कितना देते हैं लेकिन मैं अब भी एस्सट्र करता हूं और कहता हूं कि औरत को उसी काम के लिये जो वह सड़क पर करती है ओर

बोझा ढोती है उसके लिये मर्द से कम मजदूरी दी जाती है। अगर वह यह बात डिनाई करते हैं तो हाऊस में कह दें कि गलत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारी स्टेट पर बोझ बहुत ज्यादा है और लोग उस बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। यह क्लेम करते हैं कि हमने तरक्की बहुत कर ली है। डिप्टबी स्पीकर साहिबा, आप देखें कि 1966–67 के चंद माह में नवम्बर से लेकर रैवन्यू रीसीटस 24 करोड़ 27 लाख थीं लेकिन आज 1972–73 में यह 141 करोड़ 41 लाख तक पहुंच गई हैं। रैवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में इनकम 250 करोड़ रूपये तक चली गई है और खर्च 265 करोड़ हो गया है। आप देखें कि आज हमारा बजट इतना फैल गया है कि आज हम 265 करोड़ रूपये खर्च करने जा रहे हैं। इसकी सारी डीटेल्ट हरियाणा बजट एट ऐ गलांस में दी हुई हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जेबों पर बोझ कितना हैवी है। 1966–67 में सेल्ज टैक्स से आमदनी 3 करोड़ 46 लाख रूपये होती थी जो आज 29 करोड़ 77 लाख तक पहुंच गई है। इसी तरह से स्टेट एक्साइज डयूटीज से आमदनी 1 करोड़ 49 लाख रूपये होती थी जो आज 10 करोड़ 83 लाख हो गई है। इसी तरह सैंट्रल गवर्नमैंट से जो हिस्सा मिलता था वह 1 करोड़ 60 लाख से 8 करोड़ 8 लाख हो गया है। फिर आप देखें कि अरबन प्रापर्टी पर जो बोझा है वह 32 लाख से बढ़कर 92 लाख हो गया है। यह जो इतनी आमदनी बढ़ी है यह कहां से आई है? यह सब पैसा लोगों की जेबों से निकाला गया है लेकिन इसके बावजूद यह कहते नहीं थकते कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाये

हैं। अगर आपने टैक्स नहीं बढ़ाये तो यह रीसीटस कैसे दस गुणा हो गई हैं। यह तो हो नहीं सकता है कि रैवेन्यू कलैक्शन में बीच में इतनी ज्यादा गड़बड़ होती हो जो इन्होंने ठीक कर ली हो। इसका मतलब साफ है कि बहुत डिसप्रपोर्शनेटली बोझा लोगों के ऊपर बढ़ा है। मुझे याद है कि एक दफा ज्वायंट पंजाब में हरियाणा डिवैल्पमैंट कमेटी बैठी थी उस वक्त ओम प्रभा जी डिप्टी मिनिस्टर होती थीं। तो उस वक्त हरियाणा पर 30 करोड़ से बढ़ कर 265 करोड़ हो गया है। जब इतना बोझा लोगों पर बढ़ा है और इतना बजट बढ़ा है तो फिर तरक्की क्यों न हो? इतना पैसा खर्च करने के बाद तरक्की नहीं होगी तो और क्या होगा? मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री बंसी लाल जी हरियाणा बनाने के खिलाफ थे। (विघ्न) उनका पार्लियामैंट्री कमेटी की मीटिंग की प्रोसीडिगज में नोट है कि मैं हरियाणा बनाने के हक में नहीं हूं। (विघ्न) खैर मैं पर्सनल बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस सारी तरक्की को क्रैडिट नहीं ले सकते। क्रैडिट तो जनता को जाता है जिसने खुशी के साथ इतना भारी बोझ बर्दाश्त किया है। इनका काम तो इतना देखना था कि रूपया किस प्रकार खर्च किया जाता है और करते हैं। ठीक है कि सड़कें बन रही हैं लेकिन वह कैसी बन रही है यह देखने वाली बात है। कोई भी इस बात को देख सकता है कि सड़कें आगे की बनती जा रही हैं और पीछे की टूटती जा रही है। अगर इसी तरह से सड़कें बनती रहीं तो आप देख लेना 6 महीने के अन्दर–अन्दर सड़कें नाकारा हो जायेंगी। सड़कें बनाने का भी जो ढंग है वह

ठीक नहीं हैं। (विघ्न) कहते हैं कि मेन रोड से हर गांव को मिलायेंगे। उसमें क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव के लिये जाने के लिये कोई रास्ता ही नहीं ह। जिसने जाना हो वह पहले मेन रोड पर आये फिर वहां से बस लेकर दूसरे गांव को जाये। मैं कहता हूं एक तरह की ब्लाइंड अलेज बनाकर रख दी हैं। किसी वक्त राडौर से मुस्तफाबाद के लिये सड़क मन्जूर की गई थी बजट फ्लान में डाल दी थी और उसका बनाना भी शुरू हो गया था। इन्होंने सीधे रास्ते की बजाये उसे बसंतपुर की तरफ से बना दिया। मुस्तफाबाद दूसरा स्टेशन है खेड़ी–लखासिंह से और बसंतपुर से खेड़ी लखासिंह का डेढ मील का फासला है। बसंतपुर से खेड़ी–लखासिंह को टोटा नहीं जोड़ा गया। इस तरह से सड़क को बनाया कि जिससे राडौर से मुस्तफाबाद जाना हो वह पहले 16 मील का सफर तय करके राडौर से जमुनानगर जाये और फिर वहां से मुस्तफाबाद जा सकेगा। इस तरह से जो फासला 16 मील का था वह 40 मील हो गया है। इस तरह का एक ही केस नहीं है और कई केस हैं जहां ऐसा हुआ है और हो रहा है। इनकी स्कींज हैं वह सारी थौटलैस हैं .....

उपाध्यक्षा: पहले एप्रोज रोडज बना रहे हैं उसके बाद लिंक रोडज बनाई जायेगी।

चौ. चांद राम: यह अगर लिंक रोडज बनाना चाहे तो अब भी बनाई जा सकती हैं। हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है वह भी मैं बताना चाहता हूं कि कितना है। यह जो किताब है 'डैट

लायबिल्टीज आफ हरियाणा' इसमें आप देखें कि 1970–71 में डैट 161 करोड़ 76 लाख था लेकिन आज यह 199 करोड़ 99 लाख है। हम दो सौ करोड़ के कर्जे के अंडर दबे हुए हैं। ऐसा करके इन्होंने आने वाली सन्तान कर्जे में जकड़ दी है। फिर इसमें आप देखें कि सूद का बोद कितना है। इस बजट में जो फिगर्ज इन्होंने दिये हैं उनके मुताबिक हम इस कर्ज का ब्याज 12 करोड़ 32 लाख देंगे और पिछले साल यह 9 करोड़ रूपये दिया था। फिर आप देखें कि यह हर जगह से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज भी अनप्रोडक्टिव कामों के लिये ले रहे हैं। यह एल.आई.सी के कर्ज ले रहे हैं। यह बर्ज खेतीबाडी के लिये, ट्रेक्टर्ज के लिये, टयूबवैल्ज के लिये और हरिजनों को कर्ज देने के लिये नहीं ले रहे हैं बथ्लक हाउस बिल्डिंग जैसे अनप्रोडक्टिव परपज के लिये ले रहे हैं। किसी प्रोडक्टिव काम और कारखानों के लिये नहीं ले रहे हैं। मैं पूछता हूं कि कौन सी इकनामिक्स इस बात की इजाजत देती है कि जब देश डिवैल्प हो रहा हो तो आप अनप्रोडक्टिव खर्च करें। देश अंडर डिवैल्पड है और आप नये घरों पर और डाक बंगलों और अपनी कोटियों को एयर कंडीशन करने के लिये पैसा बरबाद कर रहे हैं। यह कहते हैं कि इनके रैस्ट हाउसिज राजे नवाबों की तरह होने चाहियें। पुराने राजे तो खत्म हो गये लेकिन यह नये और पैदा हो गये हैं। हम भी वजीर थे और हमारे सामने भी यह सवाल आया था लेकिन हमने कहा था कि हम अपने घरों को एयरकंडीशंड नहीं करेंगे।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप चेयर की ऐड्रेस करें।

चौ. चांद राम: मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं उनकी तरफ नजर तो कर सकता हूं। (हंसी) तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरह तो हमारे बहादुर जवानों ने देश के लिए कुर्बानी की और दूसरी तरफ ये हैं जिनकी हालत वैसी है जैसे When the Rome was burning Nero was fiddling, उसी तरह ये ऐशो इशरत के सामान जुटा रहे हैं। आज तो लोग नहीं कहते क्योंकि वे खुशियां मना रहे हैं लेकिन वह दिन दूर नहीं जब लोग इनकी इस ऐशो इशरत की जिन्दगी को देखेंगे। फिर यह उद्घाटन करते फिरते हैं। इनको क्या हक है उद्घाटन करने का उद्घाटन मजदूर के हाथों होना चाहिये जो उस चीज को बनाता है। लेकिन इनके उद्घाटर पर बीस–बीस हजार रूपये खर्च होते हैं और लंच उड़ाये जाते है। किसी के घर में तो शोक मनाया जा रहा है और यह दावतें उड़ाते फिरते हैं। आपकी जिन्दगी तो सादगी की होनी चाहिये जैसे गांधी जी कहा करते थे। आपको देश के हालात को देखते हुए यह मिनिस्ट्री कम करनी चाहिये थी। आपको इन बहादुरों की तरफ देखना चाहिये था जिन्होंने अपने जीवन की आहूति देकर मशीनगनों के मुंह मोड़ दिये। वे तो इनके लिए गोली खाएं मगर क्या इनका यह फर्ज नहीं बनता था कि ये खर्च में कटौती करते? क्या ये सादा नहीं रह सकते थे? क्या सरहदों पर जो नौजवान मरे हैं वे इसलिए मरे हैं कि उनकी रूहें हमेशा के लिए तड़पती रहें और ये ऐशो इशरत करते रहें? इनका यह

फर्ज बनता था कि सादा रहें और लड़ रहे नौजवानां के लिए बचत करके ज्यादा फैसिलिटीज मुहैया करें। आप देखें, कैनाल की औगमैंटेशन करके आपने कितनी पोटैंशियलटी बढ़ाई हैं? आ बार–बार कहते हैं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया से इतने लैंटर आफ इंटैट्स लिए हैं, आपने कितनी पौटैंशियल्टी बढ़ाई है? अगर आपने खाद बढ़ाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अनाज बढ़ाया है, अनाज पैदा किया है जमीदारों ने, उन्होंने मेहनत की, दुख सहे लेकिन आपने क्या किया? आपने तो अपने लिए हवाई जहाज खरीदे हैं। यह एक छोटी सी स्टेट है जिसका फासला एक कोने से दूसरे कोने तक 150 मील का मुश्किल से हैं लेकिन यह हवाई जहाज के बिना नहीं जा सकते। चार–चार जमात पढ़े हुए वजीर हैं, ये सोचते नहीं कि क्या ये हवाई जहाज में बैठने लायक हैं, क्या यह हवाई जहाज खरीदने का वक्त है या भूखे मरते हुए लोगों की सेवा करने का वक्त है? आज मिनिस्ट्री में तीन हरिजन वजीर है, और तीन–तीन रूपयें में आज तुम्हारे बहू बेटियों की इज्जत बिकती है, उनके पैरों में जूते तक नहीं हैं लेकिन ये इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचते ..... (शोर)।

श्री प्रभु सिंह (विकास मंत्री): डिप्टी स्पीकर साहिबा आप इनको रोक दें, ऐसा न कहें। ये तो इनके घर बिकती हैं हमारे घरौं में नहीं बिकती .....

चौ. चांद राम: सी.बी.आई. से इसकी इन्क्वायरी करवा लें, पता चल जाएगा कि किसके घर में बिकती है। (शोर)।

श्री प्रभु सिंह: इन्क्वायरी करवा लें यह जो काली हांडी है इसकी क्या इन्क्वायरी होगी ....(व्यवधान).....।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, देखें, ये मिनिस्टर साहब कैसे बोल रहे हैं .....(शोर).....।

Deputy Speaker: He was on a Point of Order.

Ch. Jai Singh Rathi: He never said that he was on a Point of Order.

Deputy Speaker: I would request the Hon. Member that he should speak like a good parliamentarian. (Interruptions) He was on a Point of Order.

चौ. जोगेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौ. चांद राम ने जो लफ्ज कहें हैं कि 'तीन तीन रूपये में इनकी बहू बेटियां बिकती हैं' ये ऐक्सपंज कर दिय जाने चाहिए (व्यवधान)

Deputy Speaker: Please withdraw the words.

चौ. चांद राम: मैं अपने आप ही वापिस ले लेता हूं। ये बेटियां रोज आठ–आठ मील का सफर करती हैं और मजदूरी करके शाम को घर आती हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दादरी में जो ट्रक उल्ट गया था उसमें बच्चे औरतें और मर्द सभी बैठे थे। उस दुर्घटना से कई जानों का नुक्सान हुआ। तीन चार आदमी बाद में मैडीकल कालेज में जाकर मरे। ये लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते कि ट्रक किस वजह से उल्टा। वह इसलिए उल्टा कि इनके पी.डब्ल्यू.डी. के

ड्राइवर रात को शराब पीकर ट्रक चलाते हैं और गरीब मजदूरों की जानों से खेलते हैं।

उपाध्यक्षा: मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी that you should not mention like this. You should say as "Honourable Ministers of Honourable Members of this House."

चौ. चांद राम: बहुत अच्छा जी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो आदमी पावर रिटेन करते हैं और जो इनको वोट देते हैं आज उनकी क्या हालत है? जितनी भी आर्टीजन क्लास है हरिजन वगैरह–वगैरह ये सारी मिट्टी ढ़ोती है। इससे पहले वे घरेलू काम किय करते थे, खुद मजदूर थे ओर अपना काम करते थे। इनमें सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया गया कि तुम्हें जमीन मिलेगी, मजदूरी बढ़ेगी लेकिन यह सब प्रचार केवल प्रचार बनकर ही रह गया। वैसे भी जमीन पर बोझ ज्यादा हो गया, जमीन की पर–कैपिटा–परसैंटेज कम हो गई और इसके सयाथ ही साथ मजदूरी भी कम हो गई। पहले मुजारे खुद बोते थेलेकिन आज जमीदारों को बेदखल कर देंगे। वैसे भी आमदनी कम हो गई क्योंकि आबादी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिन लोगों की आमदनी बिल्कुल कम हो गई है उनको रोजी देने का क्या आल्टरनेटिव है? खेती तो मुहैया नहीं कर सकते। इन्होंने कितने लोगों की सोसायटियां बनाकर कर्जे दिए हैं, इनके लिए कितने कारखाने खोले हैं? आपको मालूम है, रबड़ की चप्पलों के कारखाने लगने से जूतियों का कमा बन्द हो गया, टैरालीन का कपड़ा बचले से

खादी का काम कम हो गया और लोहार का काम ट्रैक्अर ने खत्म कर दिया। इस तरह से सारी आर्टीजन क्लास बेरोजगार हो गई है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जो क्लास इनको स्टेबिलिटी देती रही है, बाकायदा 21 साल तक इनको पायदारी देती रही है वह आज ग्रोइंगली अन–एम्पलायड है, वे बेरोजगारी के गार में चले गये हैं। ये कहते है कि हरिजन कल्याण निगम से ऋण देगें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप थोड़ा सा हिसाब जानते हों तो हिसाब लगायें कि 40 लाख रूपये का ऋण एक हजार रूपया एक आदमी के हिसाब से चार हजार आदमियों को मिलेगा। यह सारा रूपया तो चार हजार आदमियों में ही बंट गया। मैं पूछता हूं साल जिलों से ऋण के लिए कितनी दरखास्तें आई हैं? असल फिग्गर तो यही जानते होंगे लेकिन मेरी इत्तलाह के मुताबिक हरिजन कल्याण से ऋण लेने के लिए 45 हजार दरखास्तें आ चुकी हैं। हम रोज देखते हैं, फार्म लेने के लिए लोग आते हैं और किसी एम.एल.ए. के दस्तखत करवाने के लिए जाते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ऋण लेने के प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जाए, यह बड़ी आसानी से सिम्पलीफाई किया जा सकात था लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 45 हजार इस साल की दरखास्तें आई हैं। अगर एक आदमी को एक हजार देते हैं तो कुल चार हजार आदमियों को ऋण दे पायेंगे, चाहे जिला हिसार के हों चाहें कही के हों,

सिर्फ चार हजार आदमियों का ही मुश्किल से गुजारा होगा (घंटी)।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आपको बहुत टाईम हो गया है, अपोजीशन के और मैम्बरों ने भी बोलना है।

चौ. चांद राम: मैं तो कल भी नहीं बोला था, अपोजीशन तो बोलेगी ही। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हरिजनों से बेईमानी की जाती है। ये कहते हैं पर–कैपिटा इन्कम बढ़ी है। लेकिन आप यह तो देखें कि पर–कैपिटा–डिस्पेरिटी कितनी है, पर केपिटा–डिस्ट्रिब्युशन कितनी है? सिर्फ मिट्टी ढोने का काम दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट जींद में मीटिग हुई थी। श्री दया कृष्ण जी ने सी.एम. को कहा था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि हरियाण में बेरोजगारी कहां है? मैं तो राजस्थान से आदमी लेता हूं, मजदूरी कने के लिए, यहां पर मजदडूर है ही नहीं। कौन कहता है कि इस स्टेट मे बेरोजगारी है? हम रोज देखते है, लोग मिट्टी का काम करते है, मिट्टी ढ़ोते हैं, और हमारे सी.एम. साहब कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। जो लोग इनको वोट देते ह। उनको कहते हैं बेरोजगार नहीं हैं, बड़े खुशहाल हैं। यह गलत बात है कि लोग खुशहाल हैं। मैं पोटैशियल का जिक्र कर रहा था। पब्लिक सैक्टर और कोआप्रेटिव सैक्टर में इंडस्ट्री लगाने का अगर फायदा है तो वह सरमायेदारों को है, हरिजनों को नहीं। इंडस्ट्रीज में सरमायेदारों की मनौपली पैदा की जा रही है। बम्बई में यह

फैसला हुआ था कि हम शूगर फैक्ट्रीज को नैशनेलाईज करेंगे। आज शूगर फैक्ट्री डेढ़ करोड़ मन गन्ना पेलती है, क्या इसको नैशनेलाईज किया? यही नहीं, उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो शूगर फैक्ट्री का मालिक था उसको शराब का लाईसेंस दे दिया, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दे दी है। इस तरह सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट्स की मनोपली बनाती जा रही है। खादी बोर्ड के चेयरमैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और उनको इंडस्ट्रीज में पदम भूषण या पदम श्री का खिताब भी मिला है, वे अब मूरथल में इंडस्ट्री लगाने लगे हैं। जो जंगली शामलात जमीन थी वह पंचायत से ली और तीन हजार रूपया मुआवजा दिया। उसी जगह पर किसी की इंडिविजुवल लैंड ली और उस जमीन का मुआवजा लेने के लिए उसने सैशन कोर्ट में अपील करके 35 हजार का मुआवजा दिया। मैं उस वकील का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह हकीकत है कि उस जमीन की कीमत मूरथल की पंचायत को बहुत कम दी गई और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल आदमी को 35 हजार रूपया दिया गया। एक आदमी को तो ये इतना फायदा पहुंचाते हैं मगर हरिजनों को कुछ नहीं। इन्होंने तीन मई को वायदा किया था कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर भूमिहीनों को भूमि तकसीम कर देंगे लेकिन आज तक वह तकसीम नहीं हुई। मैंने प्राईम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि आप अपने चीफ मिनिस्टर से इस बारे में पूछिए। प्राईम मिनिस्टर की चिट्ठी 5 जून, 1970 को चीफ मिनिस्टर के नाम आई। उसमें लिखा था कि चीफ मिनिस्टर साहब आप लैंड रिफार्म करिए। पर्टिकुलरली लैन्डलैस शडॅयूल्ड कास्टस

और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का उस लेटर में नाम है। उसकी कुछ वर्डिंग इस प्रकार है:—

"This is to re-iterate the imperative need to ensure the implementation of land reforms within a fixed time limit....."

इस साल भी प्राईम मिनिस्टर का लेटर इन्हें आया है। स्टेट गवर्नमैंट को उनके तीन लेटर्ज आ गए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्षा महोदया, फिर आप बजट देखिए। इसमें भी रीसैटलमेंट आफ लैन्डलैस ऐग्रीलल्चरल लेबरर्ज का खाना ही खाली है। पहले सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस काम के लिए सैन्ट परसैंट सबसिडी देती थी। यह सरकार उस सबसिडी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकी। उस मद में जीरो ही जीरो है। लैंडलैस लेबरर्ज का खाना ही खाली है। आप अब अन्दाजा लगा लीजिए कि इस गवर्नमैंट का क्या हाल है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट तो ग्रांट दे मगर ये उसको इन्कार करें, यह कोई बात है?

इसी तरीके से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी स्टेट के अन्दर अन्य मामलों में भी ढीली पालिसी अपनाई जा रही है। शूगर केन का यहां जिक्र आया। कांग्रेस की यह पालिसी थी कि शूगर केन मिलों को नैशनेलाईज करेंगे लेकिन वे यहां आज तक नेशनेलाईज नहीं की गई। फिर आप देखिए सूरजपुर फैक्टरी का यहां जिक्र किया गया। पीछे जैसे उसकी लीज खत्म हो गई थी। उस लीज में लिखा हुआ था कि लीज का पीरियड खत्म हो जाने

पर मिल का सारा माल सरकार को चला जाएगां लेकिन अफसोस है कि लीज ऐक्सपायर होते ही इन्होंने उसक पीरियड 20–25 साल के लिए ओर ऐक्सटैन्ड कर दिया। मैं क्या कहूं और क्या न कहूं कि उसमें क्या कुद हुआ, हेराफेरी हुई या न हुई लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब देश की पुकार यह हो कि पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्रीज को पब्लिक सैक्टर में लगायेंगे तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आपको बोलते हुए चालीस मिनट हो गए हैं। आप यदि अपोजीशन की तरफ से यह विश्वास दिला दें कि और कोई नहीं बोलेगा तो मैं आपको और टाईम दूंगी वरना अब आप अपना भाषण खत्म करें।

चौ. चांद राम: मुझे चार पांच मिनट आप और दे दें।

उपाध्यक्षा: केवल दो मिनट।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कहते तो बहुत कुछ हैं मगर किया इन्होंने कुद नहीं है। पावर के पौटैन्शल को ही आप ले लीजिएगा। फरीदाबाद और जमुनानगर में थर्मल प्लांटस लगाने के लिए हमने सन् 66 के बजट में प्रोविजन रखा था लेकिन वह आजतक इन्होंने नहीं बनाए। इर्रीगेशन का पौटैन्शल भी इन्होंने इंक्रीज नहीं किया। अब ये औगमैन्टेशन कैनाल बना रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, यह भी देखने वाली बात है। सात जनवरी को मैं दौरे पर गया था। लोग रो रहे थे कि इन्होंने

हमारी जमीनों को खराब कर दिया। पानी का न इधर निकालस हे और न उधर निकास है। उनकी बुरी हालत हो गई है। खेत पानी से भर गए हैं। उन्हौंने तो यहां तक कहा कि चौधरी साहब हमें तो यह नरक है। मैंने, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने यहां के भी और दूसरी जगहों के इंजीनियर्ज से बात की और पूछा कि क्या कोई और आलटरनेटिव नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा कि पुरानी नहर भी पक्की हो सकती थी। एक और तजवीज उन्होंने बताई कि जमुना के किनारे–किनारे, जहां हमारा बोर्डर लगाता है वहां पांच सौ फुट नहर से इधर जमुना नदी के साथ–साथ हम इस नहर को खोद सकते थे। अगर हम ऐसा करते तो वहां ज्यादा पानी मिलता वह हमारा नैचुरल बोर्डर होता, इस स्टेट की ब्यूटी होती ओर वह ऐंटी फ्लड मैजर होता। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं क्या बताऊं? यह जो पीरियड है यह एक हैरासमैंट का पीरियड है। जाट औफिसर्ज, हरिजन औफिसर्ज जो हरियाणा के ठेठ अफसर थे उनको इन्होने खत्म किया और हरिजन की रिजर्वेशन भी खत्म की। पंजाब में अकाली मिनिस्ट्री ने तो रिजर्वेशन कर दी मगर इन्होंने नहीं की। यह स्टेट ओवर–लोडिड है, इस पर बड़ा खर्चा है। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह पीरियड डिवैल्पमैंट का नहीं गिना जाएगा, यह काला पीरियड, ब्लैक पीरियड और डारकैस्ट पीरियड हरियाणा की तारीख में होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

Sh. Shyam Chand (Baroda S.C.): Madam Deputy Speaker .....

श्री फतेह चन्द विज: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सबमिशन यह है कि आप पहले ही टाईम फिक्स कर दें ताकि ऐसा न हो कि दो तीन मैम्बरों को बुला करके आप कह दें कि टाईम खत्म हो गया।

उपाध्यक्षा: एक मैम्बर को तो बोलने दो।

श्रीमती शकुन्तला: उपाध्यक्ष महोदया, मेरी रिक्वैस्ट है कि श्यामचन्द जी को डेढ़ घंटे का टाईम दे दीजिए।

उपाध्यक्षा: नहीं, इसमें किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, मेरी भी राय है कि शकुन्तला जी की बात मान लेनी चाहिए।

चौ. लाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके होते हुए मुझे भी टाईम मिलना चाहिए।

उपाध्यक्षा: जरूर मिलेगा।

चौ. लाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी यह भी प्रार्थना है कि यह जो हमारी जनता धक्के खाकर अन्दर आती है इसको समझाने के लिए यहां हिन्दी में ही बोलना चाहिए।

Sh. Shyam Chand: Madam Deputy Speaker, objection has been taken that I should not speak in English. But I can only say that those Members who have any

objection, can certainly join night classes. There are facilities provided by the Panjab University for this purpose.

Madam Deputy Speaker, when I go through the pages of this Budget or these Demands, I find that a lot of production in agriculture sector has been done in Haryana. There was criticism from the Hon. Member, Ch. Chand Ram that more agriculture production was becuase of the efforts and labour of the farmers. I do not deny it. But I can only say that this record production in agriculture is due to the fact of technical changes in agriculture i.e. through extensive irrigation facilities, reclamation of waste land, better drainage system, application of better seeds, improved variety of manure and utilization of new technique in intensive cultivation. I do not say that it is due to these facts alone. The farmers had done hard labour and that is why there is more agriculture production. But it is also because of good contribution which has come through the State Government and the facilities given to the farmers and that is why Haryana has made this production whichis a record produciton in the history of the State. Then there is another criticism that the State has imposed or levied more taxes and those taxes are not in proportion to the producetion. But I can tell my good friend, the Hon. Member, Ch. Chand Ram, that in Haryana the value of produciton of agricultural implements and machine tolls increased from Rs. 5.80 crores in 1969-70 to Rs. 12.77 crores in 1970-71. The production of sugar increased from 0.43 lakh tonnes to 0.83 lakh lonnes. Then there is increase in the production of cotton textiles from Rs. 24.83 crores to Rs. 31.79 crores. What I want to say is that these taxes, I mean the Sales Tax and the Excise Duties, are not in

proportion to the production, but they have been leived because there is more production in Haryana in Agriculture and the industrial field and that is why the State is earning more taxes and these taxes are proper and in good order. The State Government is omposeing these taxes keeping in view not only the rate of economic development but also because of the fact that these two industries are making good production and that is why there are more taxes.

Regardig employment, I can say, Madam Deputy Speaker, that the irrigation facilities, minor irrigation schemes, road buildings, drainage system etc., all these are giving more employment to unskilled labour in the rural areas and with the criticism of Mr. Chand Ram that the rate of wages is lower I do not agree. When he was Deputy Chief Minister, I can say that all the unskilled labourers who were working either on the roads or the drains or at any other place were not paid more than Rs. 2 a day and, I am glad that our P.W.D. Minister, Sh. Ran Singh, has doubled the amount of these wages.

Again, Madam Deputy Speaker, Mr. Chand Ram has criticised the Government that Harijan Officers are bing victimised. In the last session, he mentioned some of the names of Harijan Officers in Haryana and I can tell this House and particularly to the Chief Minister that some of the officers in Haryana who are in Class I or I.A.S. were staying in a hostel which is managed by the Hon. Member, Ch. Chand Ram, and because of the enemity and ill-feelings towards these officers which Mr. Chand Ram is nursing in his heart, he wants them to be punished because if he takes their cause,

probably he thinks that the Chief Minister will be vindictive; that is not so. And I can say that Mr. Chand Ram should not consider himself to be a great man as far as Harijans are concerned. I can only quote one cuplet from John Webster from Duchess of Malfi when he says "Great men are like the base, nay they are the same whent hey seek shameful ways to avoid shame". Similarly, Mr. Chand Ram is standing on those lines when he poses to be a great man. Surely, he wants to avoid his shame or that of teh bostards of his past days. He has criticised the Government regarding mal-paractices and about corruption. Madam Deputy Speaker, in the last session, he said that if a man can give an affidavit or anything of the sort against him, he will file a suit. Here is a pamphlet, Madam Deputy Speaker, and it gives all his past misdeeds and black record. Madam Deputy Speaker, if you permit me to speak, I will read from this pamphlet .....

चौ. ओम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

उपाध्यक्षा: यह आपने ही रवायत डाली हैं कि सारी डिमान्डों पर बोल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैम्बर बोलते समय डिमान्ड का नम्बर बतायें परन्तु आप लोग ही नहीं मानें। I had said that the Member should indicate the number of the Demand on which he is speaking.

Sh. Shyam Chand: I am speaking on corruption.....

Ch. Jai Singh Rathi: On General Administration. (Interruptions) Madam, Deputy Speaker, I will not read all the points. I will read only a few points.

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, 11 बजकर 55 मिनट हो गये हैं अभी तक अपोजीशन का एकाध एम.एल.ए. ही बोल पाया है। आपको अपोजीशन के मेबरान को अधिक टाईप देना चाहिए।

उपाध्यक्षा: आपका एक मैम्बर ही 45 मिनट बोला है। जब वे बोल रहे थे तो आपने कोई एतराज नहीं किया और यही कहा कि इसी को बोलने दें।

चौ. जय सिंह राठी: हमने भी बोलना है। हमारी तरफ से कोई मैम्बर नहीं बोला है। जहां उन्होंने अम्बाला का जिक्र किया आपने उनको पांच मिनट का और टाईम दे दिया।

चौ. ओम प्रकाश: क्या हाउस का कोई सम्मानित सदस्य हाउस में पोस्टर पढ़ सकता है और वह पोस्टर जो किसी आनरेबल मेम्बर से ताल्लुक रखता हो।

उपाध्यक्षा: कोई पोस्टर मेरे सामने नहीं पढ़ा गया।

Sh. Shyam Chand: I may read a portion from the pamphlet and then I will lay it on the Table of the House and then that will become the property of the House. (Interruptions)

Deputy Speaker: Please continue your speech,

Sh. Shyam Chand: In this it is written –

''आपने एक फारमिंग सोसाइटी बनाई जिसमें हरिजनों को जमीन देने के नाम पर 1400 आदमियों से 21 रूपये फी आदमी लेकर हजम कर गये।''

चौ. ओम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह फिर पेम्फलेट पढ़ रहे हैं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं?

Deputy Speaker: The Hon. Member cannot read the Paper. But he can refresh his memory.

Ch. Jai Singh Rathi: He can refresh his memory, if he has got the notes of his speech. That is not the note of his speech. He is reading from the pamphlet. He has said that. (Interruptions and noise)

Deputy Speaker: I do not know whether he has got a note of his speech or the pamphlet. I know that he has got on paper; it may be a note or anything else. I would request the Hon. Member that he should not read the Paper.

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने कहा है कि ये पैम्फलेट से पढ़ रहे हैं। इन्हें ऐसा पढ़ने की इजाजत न दी जाये।

Deputy Speaker: Please contineu your speech. Do not read the Paper.

Sh. Shyam Chand: Madam Deputy Speaker, these points are in-addition to what I had said in the last session.

He formed a co-operative Society called the Farming Co-operative Society and registered 1400 Members who paid Rs. 21 each and all the money has been mis-appropriated. There is no account either in Government records or with anybody else because he did not issue any receipt to any Member.

Then Madam, he was telling about the atrocities committed by the Police. Madam, Deputy Speaker, I can say on oath and I can give an affidavit also ....

एक आवाज: यही चीज आप बाहर कहें।

Sh. Shyam Chand: I can say outside the House also that when he was the Deputy Chief Minister he conspired with the Police of Thanna Jhajjar and wanted to .....(Interruptions)

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो कुछ यह पहले कह चुके हैं उसी को फिर यहां पढ़ रहे हैं। कल आपकी इस बारे में रूलिंग भी आ चुकी है कि कोई मेम्बर अखबार या पेम्फलेट हाउस में नहीं पढ़ सकता।

Sh. Shyam Chand: Madam, Deputy Speaker, I was only giving a reply to the criticism levelled by the Hon. Member Ch. Chand Ram because he poses himself to be the custodian and I cansay even 'Thekdar' of Harijans. I can say that when he was the Deputy Chief Minister .....

Deputy Speaker: Please speak on the Demands.

Sh. Shyam Chand: I am speaking on the Demands. This is also Harijans' Demand that one person cannot take undue benefit of their position by becoming the custodian. He

is selling votes of Harijans in every election, bye-election. He will take 5000 or 10000 or rupees from one candidate .... (Interruptions & noise). He should notbe the custodian of the right and privileges of the Harijans.

Madam Deputy Speaker, in Ravi Dass Hostel, of which he is the Manager, he has misappropriated Rs. 18000 and I will request the Government to institute an enquiry against the Hon. Member. If he is found guilty he should be punished and if my statement is in correct is am prepared to resign and what I say I mean it. (INTERRUPTIONS). Madam, Deputy Speaker, I was interrupted when I want saying that he was silent about the atrocities committed by the Police when he was the Deputy Chief Minister. This gentleman had conspired to kill Mr. Balraj – (Interruptions & noise)

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड में, जिस पर कि आपने कहा ये बोल रहे हैं, ये सारी बातें श्री चाँद राम जी की बता रहे हैं कि उन्हौंने यह किया उन्होंने वह किया। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में हमारी तरफ के सदस्य चौ. चाँद राम जी ही आ सकते हैं और वही कहे जा सकते हैं, यह कहना गलत है, इस बारे में आप रूलिंग दें।

उपाध्यक्षा: राठी साहब, मेरा ख्याल है कि इस तरह से प्वांयट आफ आर्डर खड़े करके आप हाउस का टाईम खराब न करें। देखिये, जब चौ. चांद राम जी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ऐसा ही बोल रहे थे तब तो आपको कोई आब्जैक्शन नहीं हुआ

था अब जब दूसरा मैम्बर बोल रहा है तब आप आब्जैक्शन कर रहे हैं। चौ. चाँद राम जी ने जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो बातें कहीं हैं, उनका जवाब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोल कर ही दिया जा सकता है।

चौ. जय सिंह राठी: मैडम, आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, उस पर बैठ कर मैम्बर्ज को इन्साफ दिया जाता है और उनकी रक्षा भी की जाती है। यदि कोई सदस्य जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलने के बहाने किसी दूसरे मैम्बर के खिलाफ ही बोलता जाए तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप उनको रोकना नहीं चाहती तो अलग बात है।

उपाध्यक्ष: मैं अब देखूंगी। अगर वह ऐसा बोलेंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगी। Please speak on the Demands only.

Sh. Shyam Chand: I was telling this House about the selling of Harijans' Votes by an Hon. Member, Ch. Chand Ram and I can say that money has passed from him to Mr. Rathi. But he cannot say this in this House, he will tell outside. (Interruption)

चौ. जय सिंह राठी: आपने तो इन्हें खुली छूट दे रखी है। अगर चेयर का हमें सरंक्षण देने का यही तरीका है और उनसे बुलवाने का यही ढंग है तो हम प्रोटैस्अ के तौर पर वाक आउट कर जायेंगे। आप हमें प्रोटैक्शन नहीं दे रही हैं।

उपाध्यक्षा: श्याम चन्द जी आज सिर्फ डिमान्डज पर ही बोलिए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये लोग इस बहाने से भागना चाहते हैं और कोई बात नहीं हैं।

Sh. Shyam Chand: Mr. Rathi, you should not worry. I am not going to say anything against you.

Ch. Jai Singh Rathi: I do not want that the debate in the House should come to such a low ebb and he should be allowed to continue to speak like that.

Deputy Speaker: Have you wound up your speech, Mr. Shyam Chand? (Interruptions)

Sh. Shyam Chand: I will take only five minutes more. (Interuptions)

Deputy Speaker: Alright, five minutes more.

Sh. Shyam Chand: Now I close that chapter and come to the economic development of the State Madam Deputy Speaker, in teh initial stage of economic development, the rate of growth in U.K. was only 3% in Russia it was only 4% in America it was 7%, in Japan it was 9% but I am glad that in Haryana in its initial stage the rate of economic growth is 16% or rather more than that. (Interruptions)

Deputy Speaker: No interruptions. Please continue your speech.

Sh. Shyam Chand: If you do not want to listen to me I take my seat.

Deputy Speaker: Mr. Vij, you can speak for five minutes only.

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं, हमें भी कुछ टाईम दीजिये। हम भी आपकी कृपा के पात्र हैं।

चौ. जय सिंह राठी: यह नजरे करम किसी के ऊपर तो डालती जाओ! आपकी निगाह किधर पड़ी है!

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. राज सिंह दलाल पदासीन हुए)

हमारी पार्टी की तरफ से अब तक कोई बोला नहीं है।

चौ. हरि सिंह सैनी: हमारा भी नम्बर आना चाहिए।

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: चेयरमैन साहब, मेरी एक सबमिशन है अपोजीशन को पहले ही पौना घंटा टाईम दिया जा चुका हैं इधर बहुत कम टाईम मिला है। वे जब बोलने लगते हैं तो घंटा–घंटा तक बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि टाईम की डिवीजन ठीक तरह से होनी चाहिए।

श्री सभापति: विज साहब, 5 मिनट के लिये बोलेगे।

श्री फतेहचन्द विज (पानीपत): चेयरमैन साहब, आज डिमांडज पर बहस हो रही है। इन डिमान्डज के अन्दर जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है, मेरा उस पर गवर्नमैंट को यह सुझाव है कि वह खर्चे के लिये डिमांडज तो जितनी मर्जी लायें, परन्तु ट्रकों की ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखें। सूबे की बसों की ट्रांसपोर्ट को तो आपने नैशनलाईज कर दिया परन्तु आपको ट्रकों की ट्रांसपोर्ट की तरफ अवश्य देखना होगा। गवर्नमैंट ने जब भी आवाहन किया या प्राईवेट जलूसों के अन्दर जनता का इक्ट्ठा करने की किसी वक्त आवश्यकता हुई या हरियाणा का काज पुट–आप करने के लिये दिल्ली धावा बोलना था, तो आपके आवाहन पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हरियाणा के जो 6000 ट्रक वाले हैं, अपने पास से तेल डालकर अपने उस दिन के काम को बन्द करके दिल्ली, पंचकुला या जिस जगह भी आप कहते रहे स्टेट के अन्दर और स्टेट के बाहर ट्रक ले गये। हजारों लौगों को ले गये और ले आये, और फिर खर्च भी अपने पास से किया। आपने देखा कि 1965 की जंग के अन्दर और उसके बाद भी मिलिटरी की अथारिटीज की तरफ से यह एप्रीसियेशन किया गया कि ट्रक वाले चाहे किसी भी सूबे के थे, जंग के अन्दर मोर्चो की फर्स्ट लाईन पर हरेक खतरे का मुकाबला रकते हुए गोलाबारी के अन्दर भी वहाँ पहुँचते रहे। उसके बाद अब भी इस पाकिस्तान के हमले के अन्दर ट्रक वालों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मैंने कल भी फाईनैंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना की थी कि आप उन सारे ट्रकों का जोकि एक चौथाई के करीब हैं

यानी 1200–1300 ट्रक वहां गए थे, उनका कम से कम एक क्वार्टर का टोकन टैक्स और गुड्स टैक्स माफ कर दें। टोकन टैक्स के मुताबिक तो वित्तमंत्री महोदया ने कहा था कि हमने माफ कर दिया है। मैं वित्तमंत्री महोदया से यह भी प्रार्थना करूंगा कि एक क्वार्टर का गुड्स टैक्स भी उनका जरूर माफ करें। अढाई अरब रूपए का जब बजट है तो उसमें तीन–चार लाख रूपए के करीब जो कि एक क्वार्टर का गुड्स टैक्स बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन ट्रक वालों को यह रियायत जरूर दें। मेरी एक और प्रार्थना है कि आपने जो चालान करने वाले स्टाफ का कोटा मुकर्रर कर रखा है यानी कि एक इन्सपैक्टर या सब–इन्सपैक्टर को एक दिन में पन्द्रह चालान जरूर देने हैं यह हरियाणा जैसी स्टेट के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। वे इन्सपैक्टर या सब–इन्सपैक्टर यह कहते हैं कि जब वह देखते हैं कि आज तो दो ही चालान हुए हैं तो वह अपना कोटा पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और ट्रक वालों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनका चालान कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राईवेट स्कूलों के अन्दर जो टीचिंग स्टाफ है उनको अपने वे सब रियायतें दी हैं जोकि गवर्नमैंट स्कूलों के टीचिंग स्टाफ के लिए हैं। वहां पर ना–टीचिंग स्टाफ भी है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राईवेट स्कूलों के नान–टीचिंग स्टाफ को भी वही सहूलियतें दी

जाएं जो कि गवर्नमेंट स्कूलौं के नान–टीचिंग स्टाफ को दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप जिस स्कूल को चाहते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी ग्रांट दे देते हैं चाहे उसके पास पहले ही फालतू पैसा पड़ा हो। यह जो ग्रान्ट देने में भेदभाव बरता जाता है यह खत्म होना चाहिए। जितने भी स्कूल हैं वे सारे हरियाणा स्टेट के स्कूल हैं। यह नहीं होना चाहिए कि ग्रांट देने के मामले में कुछ स्कूलों को तो इग्नोर किया जाए और कुछ को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए।

एक चीज जिसकी ओर मैं खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे सूबे के अन्दर वकफ बोर्ड और जनता में बहुत झगड़े चल रहे हैं। वकफ बोर्ड की जमीनें सूबे के अन्दर बहुत ज्यादा हैं। वकफ बोर्ड वाले यह करते हैं कि 100–200 रूपया लेकर लोगों को जमीन देते हैं और लोग जहां चाहते हैं और जिस तरीके से चाहते हैं अपने मकान बना लेते हैं, कहीं गलियां नहीं छोड़ते, रास्ते नहीं छोड़ते। केरल हाई कोर्ट का भी इस सम्बन्ध में फैसला है कि जो जमीनें पिछले बीस साल से कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उनको गवर्नमैंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही रूलिंग दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक सरकार को ऐसी जमीनें जो कि पिछले बीस साल से कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही हैं अपने हाथ में ले लेनी चाहिएं और जरूरतमंद लोगों तथा

गरीब लोगों को देनी चाहिएं। इस प्रकार से जनता और बकफ बोर्ड के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे और लोगों के जो हजारों रूपए बरबाद हो रहे हैं, वह बच जांएगें।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने, गुड्स टैक्स, चालान, नान–टीचिंग स्टाफ, ग्रान्ट तथा वकफ बोर्ड के सम्बन्ध में बातें बताई हैं, वित्त मंत्री साहिबा इन पर अवश्य गौर करेंगी जिससे कि लोगों की तकलीफें दूर होंगी और वे समझेंगे कि सरकार हमारा भी ध्यान रखती है।

चौ. हरि सिंह सैन (हांसी): चेयरमैन साहब, बहन ओम प्रभा जैन ने जो बजट इस सदन में 1972–73 के लिए रखा है यह बहुत ही अच्छा बजट हैं मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर 29 पर बोलना चाहता हूं। डिमांड नम्बर 29 में जो तीन करोड़ उनतालीस लाख, चालीस हजार, अस्सी रूपया, मांगा गया है यह बहुत ही खुशी की बात है कि पानी के लिए जितना ज्यादा पैसा सरकार देगी हरियाणा के अन्दर उतनी ही ज्यादा खुशहाली आएगी। मुझे याद है कि सन् 1967–68 का बजट जब उस वक्त के वित्त मंत्री ने पेश किया था तो उस समय 25 प्रतिशत आबयाना बढ़ा दिया था। भला हो चौ. मनीराम गोदारा का जिसने इसी हाउस में यह कहा था कि अगर जमीदारों पर 25 प्रतिशत आबयाना बढाओगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और आज की सरकार करोड़ों रूपया खच्र करके नहरों का जाल बिछा रही है। इससे और ज्यादा प्रशंसा की क्या बात हो सकती है। इस डिमांड में जितना रूपया सिंचाई मंत्री

महोदय ने मांगा है, मैं समझता हूं कि वह भी कम हैं। सिंचाई की जितनी सहूलियत हरियाणा के किसानों को मिलेंगी हरियाणा उतना ही फले–फूलेगा। इस डिमांड पर सिंचाई मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने हल्का हांसी के लिए बीड माईनर के लिए जो रूपया मन्जूर पिछले साल किया था उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उस रूपए का उपयोग होना चाहिए और उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए। साथ ही मैं सिंचाई मंत्री महोदय से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं जो कि मेरे हल्के से बहुत ज्यादा सम्बन्धित है, वह है हाजिमपुर माईनर जोकि सुन्दर ब्रांच से निकलती है। मंत्री महोदय स्वयं उस गांव में गए थे। उसकी स्कीम बनाकर आए थे। वह बहुत पुराना गांव है और पंजाब के पुरषार्थी भाई उसमें बसते हैं और वह इतना सूखा गांव है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आदरणीय सिचाई मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह उस माईनर को बनवाने की मेहरबानी करें। इसके साथ–साथ मैं डिमांड नम्बर 17 पर बोलना चाहता हूं। डिमांड नम्बर 17 में जो रूपया रखा गया है वह भी सराहनीय है मगर इसके अन्दर हैल्थ मिनिस्टर साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हांसी अस्पताल मेरे अपने ख्याल से हरियाणा के अन्दर सबसे घटिया अस्पताल है। उस अस्पताल का आपरेशन थियेटर ऐसा है कि मरीज वहां से डर कर भाग निकले। उसकी छतें टूटी हुई हैं। जब सरकार ने सारे हरियाणा के अन्दर इतने अच्छे अस्पताल बनाए हैं जिनको देखकर सर फख्र से ऊंचा हो जाता है तो मैं हैल्थ

मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह हांसी सब डिविजन के इस अस्पताल को नए सिरे से बनवाने की कृपा करें ताकि उस सब डिविजन के लोग भी, सरकार जितनी सहूलियतें हरियाणा के लोगों को दे रही है, उससे मुस्तफीद हो सकें।

चेयरमैन साहब, कल एक माननीय सदस्य चौ. हरद्वारी लाल जी ने कहा था कि यहां पर डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, मैं आपको याद दिलाऊं कि सन् 1967–68 में जब संयुक्त विधायक दल का राज था और उससे पहले 13 दिन कांग्रेस पार्टी का राम था, वहां मेरे हल्के के गांव के स्कूल को अप–ग्रेड करके मिडल से हाई स्कूल बना दिया गया था। इसके आर्डर भी हो चुके थे और टीचर्ज भी वहां पर आ चुके थे। इन्होंने ऐजुकेशन का महकमां संभालते ही कहा कि जमौली गांव किसके हल्के का है, यह स्कूल अप–ग्रेहड नहीं हो सकात है, इसको तो डी–ग्रेड कर दिया जाए क्योंकि यह कांग्रेस के एम.एल. ए. के हल्के का है यह तो इन लोगों की कारगुजारी थी। चेयरमैन साहब, आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा सुविधाओं और विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वर्ष में 300 नए प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। 100 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडल स्कूल बना दिया गया है। इन बातों को देखकर हमारा सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। पर ये अपोजीशन वाले तो केवल क्रिटीसाईज करने के लिये ही बैठे हैं। इन्होंने अपने आपको डेमोक्रेटिक बताया और यह कहा कि यह तो सरकार भट्ठा बिझा

रही है। सिवाये ऐसी बातें करने के और इन लोगों के पास है भी क्या है। चेयरमैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा की 1 करोड़ जनता यह मानती है कि उनके नेता बहुत ही अच्छे है और जनता अपना सिर फख्र से ऊंचा करती है कि हमारे नेता इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

चेयरमैन साहब, अब मैं पब्लिक हैलथ के बारे में कुछ कहूंगा कि इसके लिये जो रूपया रखा गया है, मैं उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। मेरे हल्के के अन्दर एक सिसाये गाँव है, जो बहुत ही बड़ा गांव है, शायद सारे हरियाणा के अन्दर यह गांव बड़ा होगा। मगर वहां पर पीने के पानी की बहुत तंगी है, पीने का पानी बहुत खराब है। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां यह सरकार हर जगह पर वाटर वर्कस की स्कीम चला रही है, इस गांव में भी वाटर वर्कस की स्कीम चलाई जाए ताकि पीने के पानी के लिए लोगों को सहूलियत मिले सके। (घंटी की आवाज) चेयरमैन साहब, आप घंटी बजा रहे हैं, मैने आपका हुक्म भी तो मानना है।

श्री सभापतिः आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

चौ. हरि सिंह सैनीः चेयरमैन साहब मैं चन्द एक बातों के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। अभी–अभी मुख्यमंत्री साहब ने फरमाया था कि हांसी के अन्दर जो पी.डब्ल्यू.डी. का एस.डी. ओं. का सर्कल है, वह जींद सर्कल के साथ लगा हुआ है, मगर

आजतक उसका यह पता नहीं लगा है कि यह सर्कल हिसार से लगा हुआ है या जींद से। इसलिये कोयला न तो हिसार से मिलता है और न ही जींद से मिलता है तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि काम करने के लिये उस सर्कल के एस.डी.ओ. को भी कोयला अलाट किया जाए। बस मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हुआ, अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति: गोदारा जी, आप 2 मिन्ट तक बोलेंगे, इसके बाद फिर फाईनेन्स मिनिस्टर अपनी स्पीच देंगी।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, हमें भी वक्त मिलना चाहिये, हम तो कल भी नहीं बोले।

श्री सभापति: श्री गोदारा जी, आप पहले बोल लीजिए।

चौ. पोकर राम गोदारा (फतेहबाद): चेयरमैन साहब, इस हाउस में कई माननीय सदस्यों ने अपने–अपने विचार रखे। मैं भी इस 1972–73 वर्ष के बजट के ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो बजट है, यह बहुत ही सराहनीय है, इसकी जितनी तारीफ की जाए, थोड़ी है। अभी–अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया था। उस लड़ाई में केवल 13–14 दिन लगे और हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की इज्जत को रखा है, आन को रखा है। हमें उन लोगों के प्रति बहुत फख्र है। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवारों को सहन शक्ति दे ताकि वे

उनका दुःख सह सकें। मुझे बड़ी हैरानी होती है जिस वक्त अपोजीशन वाले भाई इस सरकार के प्रस्तुत किये हुए बजट को क्रिटिसाइज करते हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिये कि वे लोग इतना गलत क्यों करते हैं? वे लोग तो चाहे कुछ भी हो, सही को भी सही नहीं कहेंगे। वे तो अपने घर वालों को भी नहीं मानते, चाहे वह कितने अच्छे ही क्यों न हों, चाहे वह कितने भी अच्छे काम क्यों न करें। ईसा क बारे में कहते थे कि उसे घर वाले बिल्कुल नही मानते थे, अपने देश का नहीं मानते थे। जबकि उसमें इतने गुण थे कि जिस की आंखें नहीं हैं, अगर वह उसे देख ले तो रोशनी आ जाती थी। ये लोग तो पैगम्बर को भी नहीं मानेंगे। A prophet is not honoured in this own country. इन लोगों से पूछो तो ये लोग कहेंगे कि भाई, कुछ भी काम नहीं किया है, इन्होंने क्या काम किया है? इसलिये चेयरमैंन साहब, मैं कहूंगा कि इन लोगों को क्रिटिसाईज करने की आदत है। मैं चन्द एक बातें जो कहने के लिये खड़ा हुआ हूं वह ये हैं कि सबसे पहले तो सरकार का ध्यान, मैं अपने हल्के की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां का पानी ऊंचा है टयूबवैल बहुत है, लेकिन अभी और ज्यादा टयूबवैल लगाये जाने की आवश्यकता है। कई टयूबवैल बहुत हैं, लेकिन अभी और ज्यादा टयूबवैल लगाये जाने की आवश्यकता हैं। कई टयूबवैल जो लगे हुए हैं अभी तक उनको कनैक्शन नहीं मिला है। अभी तक पांच–पांच, छः–छः महीनों की उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि लोगों को टयूबवैल के कनैक्शन ज्यादा से ज्यादा व जल्द से जल्द दिये जाएं

ताकि वे लोग अपनी खेती–बाड़ी कर सकें और उत्पादन को और बढ़ावा दे सकें। दूसरा मेरे हल्के रतिया में मण्डी का काम अभी तक शुरू नही हुआ है हालांकि इसकी मन्जूरी भी आ चुकी है। यह काम भी जल्द से जल्द शुरू होना चाहिये। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, यह काम अभी बहुत आहिस्ता–आहिस्ता से हो रहा है, इसकी और भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ओर इस काम को तेती से करना चाहिये। एक सड़क रतिया से बूडलाडा तक जाती है, भाखड़ा नहर पर पुल न होने की वजह से लोगों को आने–जाने के लिए दो अढ़ाई मील का चक्कर लगाकर आना–जाना पड़ता है। इसलिये भाखड़ा नहर पर पुल बनना चाहिये ताकि लोग आसानी से बिना किसी दूरी को पार किये आ जा सकें। और जो सबसे आवश्यक बात है, वह यह है कि फतेहाबाद में और रतिया में आगे मवेशियों क 2 ही अस्पताल हैं, लेकिन यह गिनती बहुत कम है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अहरमां, हरोली और बामनीवाला में भी तीन चार हस्पलात खोले जाएं ताकि लोगों को सहूलियतें हो सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे हल्के के अन्दर, विलासपुर के भाईयों के पास जो जमीन दे रखी है वह अभी तक पट्टों पर ही हैं। उसकी मल्कियत अीाी तक उनके नाम नहीं की गई जिसके कारण वे लोग टयूबवैल्ज के लिये और दूसरे कामों के लिये लोन नहीं ले सकते। इसलिये मैं माल मंत्री महोदय से यह दरखास्त करूंगा कि उन लोगों को हक मलकियत मिलना चाहिये ताकि वे लोग कर्जा ले सकें, टयूबवैल लगवा सकें और उसके जरिये खेती–बाड़ी के काम

में वृद्धि कर सकें। एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कई बार फ्लड आने के कारण जमीन में फसल खराब हो जाती है, फिर वहां पर चने बो देते हैं और लोगों का इस तरह से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता हैं इसलिये सरकार को चाहिये कि नहर का पानी देने के लिये आवयाना वगैरहा चार्ज न किया जाए।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, रतिया–फतेहाबाद में बड़ा रश रहता है और लोगों को आने–जाने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर लोकल बस चलाई जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर श्री ओम प्रकाश जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पर इल्जाम लगाया था कि वह डिफेंस का चन्दा लेकर अपने पास ही रख लेते है लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। कभी वे कहते हैं कि यह खानदान अच्छा नहीं है और कभी कुछ कहते हैं। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि वह किस किस्म के खानदान को अच्छा समझते हैं। स्पीकर साहब, हिस्ट्री में एक गुलाम बादशाह बन गया था और पीडियों तक वे खानदान गुलामों के नाम से ही चलते रहे। चौ. ओम प्रकाश साहब का जो खानदान है यह डिफैक्टर्ज का खानदान है। यह शुरू से डिफैक्ट ही करते चले आ रहे हैं। कोई भी मैंबर

हो उसको ये कहते हैं कि इस दुा जीत कर आओगे तो देखेंगे, जैसे उन्होंने सारी की सारी वोटों की पांड बांध कर घर में रखी है। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि हरियाणा असैंबली में बंसी लाल जी दोबारा जी कर नहीं आ सकेंगें उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी, चौ. बंसी लाल तो आएंगे ही आप नहीं आ सकेंगे। तो मैं इतना ही कहता हुआ, अपनी जगह लेता हूं।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ आर्डर स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। बजट पर बोलने के लिए जो आपोजीशन को टाईम अलाअ हुआ था वह अगर हमें अभी तक पूरा नहीं मिला हो तो बाकी का टाईम हमें मिलना चाहिए या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मैंने चौधरी साहब टाईम कैलकुलेट करके देख लिया है, अपोजीशन के सात मिनट ज्यादा हो गए हैं। इसलिए अब आपका कोई टाईम नहीं रहा है।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): स्पीकर साहब, आज जो डिमांड्ज के ऊपर बहस हुई है। (विघ्न)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker: I wish to give some information, if you could kindly take your seat for a minute.

I want to inform the House that it is a matter of great pride that one of our gallant officers has been awarded Param Vir Chakra (Thumping)

Ch. Jai Singh Rathi: What is his name, Sir?

Mr. Speaker: Major Hoshiar Singh. He is from district Rohtak and belongs to village Sisana.

RESUMPTION OF DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FROM GRANTS

श्रीमती ओम प्रभा जैन: माननीय स्पीकर साहब मेरे लिए इसमें कोई विशेष बातें कहने की तो रही नहीं। चौ. चांद राम जी ने कुछ बातें कही थी उनके उतर मं मैं कुछ शब्द आपकी मारफत कहना चाहूंगी। स्पीकर साहब, उनको यह बड़ा गिला है कि इस बजट को समाजवादी ढंग से जैसे बनाया जाना चाहिए था या मीन्ज आफ प्रोडक्शन ऐंड डिस्ट्रिब्यूशन जैसे होने चाहिए थे वे नहीं रखे गए हैं। मैं इस बात की तसलीम करती हूं कि जो समाजवाद का नया रूप हम देखना चाहते हैं उसके लिए अभी कुछ और अर्सा लगेा लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि हरियाणा सरकार की यह कोशिश है और हम हरियाणा ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें सब को हिस्सा मिल

सके। यहां पर ग्रीन रैवोल्यूशन आया और पिछले साल दो साल में हमारी यह कोशिश है कि जो छोटी होलडिंज वाले हैं, जो लैडलैस हैं, या खेत मजदूर है उनके भी हालात सुधारे जाएं। उनके हालात सुधारने के लिए हमने जो इकदामात उठाए हैं बजट में उनका जिक्र है इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहतीं हमने कल भी जिक्र किया था कि हरिजनों के लिए और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए जमीन खरीदने के लिए हमने बजट में काफी रकम रखी है। हरिजन कल्याण निगम ने भी काम करना शुरू कर दिया हैं। मैं इस बात को मानती हूं कि जब कोई काम पहली दफा शुरू किया जाता है तो उसका पूरा करने के लिए टाईम लगता है, लेकिन हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है और जितने भी नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठानें की स्कीमें बना रही है। चौ. चांद राम जी ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा था कि सरकार मकानात बनाने के लिए हरिजनों के वास्ते जो एल.आई.सी. से कर्जा लेकर खर्च कर रही है यह अनप्रोडक्टिव खर्चा है। हमस ब चाहते हैं कि हर देश वासी के पास मकान का होना एक नेसेसिटी है। आपने देखा होगा कि जब हम नसैसिटीज की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि सबके पास रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिएं इसलिए अगर हम लो (low) वर्ग के लोगों के लिए यह हरिजनों के लिए मकानात बनोन के लिए किसी सोर्स से कर्जा लेते हैं तो मैं समझती हूं यह भी एक अच्छा कदम हैं और चौधरी साहब को उसे एप्रीशिएअ करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लोन लायबिलिटीज का

जिक्र कियां मैं इस बात को मानती हूं कि हरियाणा के सर पर लोन है लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि लोन के बगैर डिवैल्पमैंट नहीं हो सकती। हमारे यहां कोई 106 करोड़ का भाखड़ा नंगल, ब्यास प्राजैक्ट का लोन है जो कि प्रोडक्टिव स्कीमें हैं। इस लोन की जो हमारी रिपेमैंट आफ लायबिलिटी बनती हे वह हम रैगुलरली पे कर रहे है और आगे के लिए भी पे करते रहेंगे। क्योंकि अब समय कम है, आपने ने गिलोटीन ऐपलाई करना है इसलिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर वह नुक्ताचीनी करने की बजाए कोई ठोस सुझाव देते जोकि हरिजन और बैकवर्ड लोगों की भलाई के होते तो मैं उनको एप्रीशिएट करती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे के लिए भी मैं उन्हें यह कहती हूं कि अगर वह कोई अच्छी सजैशन देंगे तो हम कन्सिडर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहब आपसे प्रार्थना करूंगी कि इन डिमांज को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Now I will apply guillotine and put the various demands to the vote of the House.

Question is –

That a sum not exceeding Rs. 11916580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 9-Land Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 974490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 10-State Excise duty.

That a sum not exceeding Rs. 681260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 11-Taxes on vehicles.

That a sum not exceeding Rs. 4384580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 12-Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs. 2395900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 13-Other Taxes and duties.

That a sum not exceeding Rs. 390010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs. 38080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 15-Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs. 2868900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 18-Parliament, State/Union Territory Legislatures.

That a sum not exceeding Rs. 31820860 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 19-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 4159168 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 8502190 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 22-Jails.

That a sum not exceeding Rs. 49233350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 23-Police.

That a sum not exceeding Rs. 544840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs. 4084310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 26-Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs. 57440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 27-Scientific Departments.

That a sum not exceeding Rs. 203773360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 28-Education.

That a sum not exceeding Rs. 50434500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs. 49886220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 30-Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 13786100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 30-A-Family Planning.

That a sum not exceeding Rs. 80627970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 31-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 20321670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 33-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 11859800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 34-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 13074040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 35-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 28421560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs. 15680460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 12243010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 39-Miscellaneous,social and Developmental Department.

That a sum not exceeding Rs. 40879630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 42-Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 58447200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 44-Irrigation, Navigation, embankment and Drainage Works (Non-Commerical).

That a sum not exceeding Rs. 33940080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 61171700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 50-Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 23115760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 3390000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 52-Capital Outlay on Public works.

That a sum not exceeding Rs. 143918420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 57-Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 11023260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 16842500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 65-Pension and Other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs. 93600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 67-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a sum not exceeding Rs. 9419950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 68-Stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs. 13088440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 70-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 51920830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 71-miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs. 56450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 76-Other Miscellaneous Compensations and Assignments.

That a sum not exceeding Rs. 5800000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

That a sum not exceeding Rs. 3991800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 241914460 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainages Works (Commercial).

That a sum not exceeding Rs. 276938500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 700000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 109-Capital Outlay on other Works.

That a sum not exceeding Rs. 19576500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 269000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs. 826331050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head 124-Capital Outlay on Scheme of Government Trading.

That a sum not exceeding Rs. 192242660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Loans of Local Funds-Private Parties, Loans to Government Servants.

That a sum not exceeding Rs. 10580520 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1972-73 in respect of the charges under head Inter-State Settlement.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday.

(the Sabha then Adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th January, 1972).